

# बिहार गजट

# अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ट 1947 (श0)

(सं0 पटना 1117) पटना, बुधवार, 18 जून 2025

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

### अधिसूचना 16 जून 2025

बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025

संo—जीoसांo—05/2024—826—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :--
  - (1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यू रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।
- 2. बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 5 के उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे :-
  - (4) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 में निर्दिष्ट प्ररूपों में नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररुप (Format) में दिया जायेगा और नाम में कोई संक्षेपांक्षर (Abbreviations) अंतर्विष्ट (Contain) नहीं होंगे।
  - (5) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 में निर्दिष्ट प्ररूपों में तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा।
  - (6) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 में निर्दिष्ट प्ररूपों में पता, जहाँ कहीं वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जिला, उप–जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हों), मोहल्ला, मकान संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।

3. मूल नियम के नियम 7 के पार्श्व शीर्ष एवं नियम के स्थान पर निम्नवत रखे जाएंगे :— नियम 7 : धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रमाण—पत्र का प्ररुप/फारम (Form) :—

मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र, जिसके अन्तर्गत बीमारी का वृतांत यदि कोई हो, के संबंध में धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण—पत्र क्रमशः प्ररूप सं० 4 और प्ररूप सं० 4क में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार द्वारा मृत्यु रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् उस माह के ऐसे सभी प्रमाण—पत्र, जिससे प्रमाण—पत्र संबंधित हो, के ठीक अगले माह के 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अग्रेषित करेगा।

4. मूल नियम के नियम 8 के पार्श्व शीर्ष एवं उपनियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नवत रखे जाएंगे :-

नियम 8 : धारा 12 के अधीन जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का दिया जाना :--

- (1) धारा 12 के अधीन सूचना देने वाले व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जन्म अथवा मृत्यु से संबंधित रजिस्टर से उद्धृत जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र यथास्थिति, प्ररूप सं० 5 या प्ररूप सं० 6 में दिया जायेगा।
- (2) धारा 8 की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क), (कक), (कख) और (कग) में निर्दिष्ट यथास्थिति, जन्म और मृत्यु की निवासीय घटनाओं की दशा में, जो सीधे जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रार को रिपोर्ट (सूचना) की जाती है, यथास्थिति, घर या परिवार का मुखिया, या उसकी अनुपस्थिति में, घर में उपस्थित मुखिया का कोई निकटतम रिश्तेदार या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सबसे बड़ा व्यस्क व्यक्ति, दत्तक ग्रहण करने वाले माता—पिता, माता—पिता, और जैविक माता—पिता, रिपोर्ट किये जाने के 30 (तीस) दिन के भीतर संबंधित रिजस्ट्रार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जन्म या मृत्यु का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सकेगा।
- (3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में होने वाली जन्म और मृत्यु, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की जाती हो, की दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति रिजस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से प्राप्त प्रमाणपत्र, यथास्थिति, सम्बद्ध घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में, घर में उपस्थित मुखिया के किसी निकटतम रिश्तेदार, या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क व्यक्ति को रिजस्ट्रार द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के 30 (तीस) दिन के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा उपलब्ध करायेगा।
- (4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ड.) और (घक), (घख) और (घग) में निर्दिष्ट संस्थागत यथास्थिति, जन्म और मृत्यु, की दशा में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार संबंधित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटने के 30 (तीस) दिन के भीतर प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा अभिप्राप्त कर सकेगा।
- (5) यदि उपनियम (2) से (4) में यथा निर्देशित संबंधित व्यक्ति द्वारा नियत अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये जायें, तो रजिस्ट्रार अथवा उपनियम 4 में यथा उल्लिखित संबंधित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से प्रमाणपत्र भेज देगा।
- 5. मूल नियम के नियम 9 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे :—
  - (1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु की सूचना, नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण ₹20 / – (बीस रुपये) विलम्बित फीस के भुगतान करने पर किया जायेगा।
  - (2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना, उसके होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह केवल जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर और ₹50 / (पचास रुपए) विलम्ब फीस के भुगतान पर तथा प्ररूप संख्या—14 में स्व—अभिप्रमाणित दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।

- (3) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित सूचना, उसके होने के 01 (एक) वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है वह, उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, उस क्षेत्र में जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु हुई है, अधिकारिता रखने वाले केवल जिला दण्डाधिकारी या अनुमण्डल दण्डाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा किए गए आदेश पर ₹100 / (एक सौ रुपए) विलम्ब फीस के भुगतान पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी।
- 6. मूल नियम के नियम 12 के स्थान पर निम्नवत रखे जाएंगे :— प्ररूप संख्या 1, 1क, 2 एवं 3 के विधिक भाग से जन्म—रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर एवं मृत—जन्म रजिस्टर क्रमशः प्ररूप संख्या 7, 8 और 9 का निर्माण होगा।
- 7. मूल नियम के नियम 13 के उपनियम (1), (2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे:—
  - (1) धारा 17 के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा, की जाने वाली खोज, जारी किये जाने वाले जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र अथवा अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र के लिये भुगतेय फीस निम्नलिखित होगी:--

(क) प्रथम वर्ष में किसी एक प्रविष्टि की खोज के लिए, जिसके — ₹20.00 लिए खोज की गई हो

- (ख) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए, जिसके लिए खोज जारी हो ₹20.00
- (ग) प्रत्येक जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रमाण–पत्र देने के लिए − ₹50.00
- (घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने के लिए ₹20.00
- (2) किसी जन्म या मृत्यु के संबंध में धारा 17 के अधीन जन्म या मृत्यु से संबंधित रिजस्टर से उद्धरण के आधार पर प्रमाण—पत्र रिजस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, यथास्थिति प्ररूप / फारम संख्या 5 या प्ररूप / फारम संख्या 6 में निर्गत किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) की धारा 75 में उपबंधित रीति से प्रमाणित किया जाएगा।
- (4) ऐसा कोई प्रमाण–पत्र या अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, उसकी माँग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकेगा या इस निमित्त डाक खर्च के भुगतान किये जाने पर डाक द्वारा भेजा जा सकेगा।
- 8. मूल नियम के नियम 16 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे:-
  - (2) ऐसा कोई अपराध ऐसी राशि के भुगतान पर जो धारा 23 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) के अधीन अपराधों के लिये ₹250 / − (दो सौ पचास रुपए), उपधारा (3) के अधीन अपराधों के लिये ₹50 / − (पचास रुपए) तथा उपधारा (1क) और उपधारा (4क) के अधीन प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंध में अपराधों के लिए ₹1000 / − (एक हजार रुपए) से अनिधक होगी, प्रशमन किया जा सकेगा, जैसा उक्त अधिकारी ठीक समझे।
- 9. मूल नियम के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे :—
  नियम 16क. अपील— धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन अपील प्ररूप संख्या 15 में प्रस्तुत की जाएगी।
- 10. मूल नियम के नियम 17 के उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे:—
  - (2) रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञा तथा धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी आदेश जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत—जन्म रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किये जाएंगे।
  - (3) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन मृत्यु के कारण के संबंध में दिया गया प्रमाण—पत्र मुख्य रजिस्ट्रार या इस निमित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा कम—से—कम पाँच वर्ष तक रखा जायेगा।

मूल नियमों में, प्ररूप 1, 1क, 2, 3, 4, 4क, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के स्थान पर संलग्न प्ररूप रखे जाएंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, के० सेंथिल कुमार, प्रधान सचिव।

	y-	
प्ररूप संख्या—1 (नियम 5 देखें) जन्म रिपोर्ट विषयिक सूचना (निदेश के लिए पीछे देखें) इस भाग को जन्म रजिस्टर में जोड़ा जाएगा सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा		प्ररूप संख्या—1 (नियम 5 देखें) जन्म रिपोर्ट स्वाध्यकी सूचना (निदंश के लिए पीछे देखें) इस भाग को अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिए भेजा जायेगा सूचनादाता द्वारा मरा जायेगा
1. जल्म की तारीखः— 2. तिंग (पुरुष्ण या मिटिला या "ट्रांसजंडर व्यवित तिखें)— 3. शिशु का विवरणी (यदि नामांकरण नहीं किया गया हो, तो खाली छोड़ दें) (क) नाम (यदि कोई हो)— (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— 4. पिता का विवरणी:— (क) नाम— (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— (ध) ईमेल आई० डी०— 5. माता का विवरणी:— (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— (ख) अधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— (ख) अधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— यार्ड नं० (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— राज्य / संलरालंक — यार्ड नं० (शहर की स्थितों में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— उप—जिला— यार्ड नं० (शहर की स्थितों में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— उप—जिला— शहर / गाँव— उप—जिला— (त्रों दिये गए उपयुवत प्रविदि 1 या 2 या 3 विन्हित करें एवं 'अस्वाल / संस्थान का नाम और पता या 'घर' या 'अन्य स्थान', का पता, जर्डों जन्म हुआ है, लिखें)। 1. अस्पताल / संस्थान— 2. घर 3. अन्य स्थान पता:— महान संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— पाज्य / संलरालके —  9. सूचनावता का विवरणी: (क) नाम (ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)— पता:—	अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के तिये मेजा जाना है।	10. माता के निवास का शहर या गाँव (सामान्यतः जडौं माता निवास करती है। यह प्रसव के स्थान से मिन्न हो सकता है। उपर्युवत प्रविध्टि शहर या गाँव को खिन्दित करें और उसका नाम अकित करें।  शहर या गाँव: उप-जिला: जिला: राज्य या संघ राज्य क्षेत्र: पिनकोडः  11. धर्म के लिए [उपयुवत धर्म अंकित करें 'हिन्दू,' या 'मुस्लिम' या 'इसाई' या 'सिख' या 'बीद्ध' या 'जैन' या 'अन्य' (कृपया उल्लेख करें)]:—  (क) पिता का धर्म:— (ख) माता का धर्म:— 12. पिता का विश्वा का स्तर:— 13. माता की शिक्षा का स्तर:— 14. पिता का व्यवसाय:— 15. माता का व्यवसाय:— 16. विवाह के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षो में) (यदि विवाह एक से अधिक बार हुआ है, तो प्रथम विवाह की आयु लिखें):- 17. इस संतान के जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षो में):— 18. इस संतान सिहत माता द्वारा अबतक जनित जीवित जन्मों की संख्या (पूर्व के विवाह से जीवित संतान की संख्या, यदि हो, जोड़ी जायेगी):- 19. प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार (नीचे अंकित उपयुवत प्रविध्टि विन्दित करें):— 1. संस्थागत—सरकारी 2. संस्थागत—सरकारी 3. डॉवटर, नर्स या प्रशिक्षित वाई 4. पारमारिक प्रसाविका 5. रिश्तेदार या अन्य 20. प्रसव की विधि (नीचे अंकित उपयुवत प्रविध्टि चिन्दित करें):— 1. प्राकृतिक 2. शल्य क्रिया 3. यांत्रिक निफरण विवयुम (निवांत मार्जक) 21. जन्म के समय वजन (कि०या० में) (यदि ज्ञात हो):- 22. गर्मधारण की अवधि (टपतों में):— (एक से अधिक जन्म के मामलें में, प्रत्येक बच्चे के लिये अलग फार्म मेरे और नीचे विर् ए एए बॉयी ओर बॉक्स के अनियुवित कॉलन में, जैसा भी मामला हो, 'जुड़वां' या 'तिहरा' का उल्लेख करें)
		(कॉराम की प्रविष्टि पूर्ण हुई, अब बाई ओर हस्ताक्षर अंकित करेंगे)
सूचनादाता का इस्ताक्षर या बायें दाथ के अंगूठे का निशान रजिस्टार द्वारा भरा जायेगा		
		रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
रजिस्ट्रीकरण संख्याः रजिस्ट्रीकरण विधिः—		जिला
रजिस्ट्रार का नाम और इस्ताक्षर		रजिस्ट्रार का नाम और दस्ताक्षर
-		

# प्ररूप-1 (जन्म रिपोर्ट) भरने हेतु निर्देश

मद संख्या			निर्देश	Т			
1	तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख शब्दों में लिखी हों उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हजार तेईस लिखा जाएगा तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविप्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप में अंकों का प्रयोग करें।						
2	('पुरूप'' या ''महिला	'' या ''ट्रांसजे	न्डर व्यक्ति'' लिखें, संक्षिर्प्त	किरण का प्रयोग न करें।			
3,4,5,9	पूरा नाम (संक्षिप्तीक	रण नहीं) बड़े नाम या अंतिम	अक्षर (Capital Letter)	अन्तिम नाम) के प्ररुप (Form ) में लिखा जाना चाहिए तथा कम से कम दो अक्षर होने च	पहला नाम अनिवार्य है।		
				जा सकता है। तथापि, रजिस्			
	भीतर शिशु का नाम	नि:शुल्क प्रवि	प्टि किया जा सकता है (र	राज्य नियमावली का नियम 10 वे	रखें) ।		
6,7,8,9				(सं० रा० क्षे०) का नाम, जि हो), मोहल्ला, मकान संख्या			
	जन्म का स्थान के	लिए (सही प्रवि	वेप्टि को चिन्हित करें)				
8	1. अस्पताल / संस्थान 2. घर 3. अन्य स्थान						
10	("अस्पताल / संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य जगह" का पता, जहाँ जन्म हुआ है, लिखें) माता के निवास का शहर या गाँव:– सामान्यत: जहाँ माता निवास करती है। यह प्रसव के स्थान से मिन्न हो सकता						
10	माता के निवास का शहर या गाव:— सामान्यत: जहां माता निवास करता है। यह प्रसंव के स्थान से मिन्न हा सकता   है। घर का पता अंकित करना आवश्यक नहीं है।						
	शिक्षा का स्तर–इनमे						
12,13	1. प्री—प्राइमरी	6. कक्षा-5	11. कक्षा—10	16. स्नातक / पूर्वस्नातक	21. औपचारिक शिक्षा		
					के बिना साक्षर		
	2. कक्षा—1	7. कक्षा-6	12. कक्षा—11	17. स्नातकोत्तर डिप्लोमा	22. निरक्षर		
	3. कक्षा-2 4. कक्षा-3	8. कक्षा—7 9. कक्षा—8	13. कक्षा—12 14. आई० टी० आई०	18. मास्टर / स्नातकोत्तर 19. एम० फिल			
	4. कदा—3 5. कक्षा—4	9. फदाा—8 10.	14. আহ্০ বেত আহ্০	20. डॉक्टरेट एवं उससे			
		कक्षा-9	डिप्लोमा / सर्टिफिकेट	ऊपर			
	(शिक्षा का पूर्ण स्तर अ तो कक्षा छः अंकित क		- –यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई	किया गया है, लेकिन केवल छट	ी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है,		
14,15	व्यवसाय–निम्नलिख		एक लिखें–				
	<ol> <li>कृपक</li> <li>कृपि मजदूर</li> <li>वैनिक वेतन भोर्ग</li> <li>एकल / पारिवारिक</li> <li>नियोक्ता</li> <li>सरकारी कर्मचारी</li> <li>निजी कर्मचारी</li> <li>घरेलू सहायक</li> <li>गैर-कार्यकर्त्ता</li> </ol>	क्र श्रमिक / स्व	—रोजगार				

टिप्पणी:- सूचनादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जन्म रिपोर्ट फार्म में यथासंभव कोई भी प्रविप्टि खाली न छोड़ा जाय।

प्ररूप संख्या–1क		प्ररूप संख्या—1क
विधिक सूचना (नियम 5 देखें)		सांख्यिकी सूचना (नियम 5 देखें)
दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट (निर्देश के लिए पीछे देखें)		दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट (निर्देश के लिए पीछे देखें)
इस भाग को जन्म रजिस्टर में जोड़ा जाएगा		इस भाग को अलग कर सांडियकी प्रशोधन के लिए भेजा जायेगा
सूचनादाता द्वारा नरा जायेगा	_	सूचनादाता द्वारा गरा जायेगा
1*. जन्म की तारीख:-		
		14. धर्म के लिए [उपयुक्त धर्म अंकित करें 'हिन्दू' या "मुस्लिम" या 'इसाई' या
2*. लिंग ("पुरूप" या 'मिटला" या ''ट्रांसजेंडर ध्यक्ति'' लिखें) :-		'सिख' या "बौद्ध' या 'जैन' या "अन्य" (कृपया उल्लेख करें)]:—
3. शिशु का विवरणी (यदि गोद लोने के पश्चात नाम बदला गया है, तो नया नाम लिखें)		(क) दत्तक पिता का धर्मः
. (क) शिशु का नाम—		(1)
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो):-		(ख) दत्तक माता का धर्मः
4*. माता का विवरणी (यदि ज्ञात हो):-		10004110 99144000 34400 44000 5000
( <del>a</del> ) नाम-		15. दत्तक पिता का शिक्षा का स्तर
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ब हो) —		_
(ग) मोबाईल नं०-		16. दत्तक माता का शिक्षा का स्तरः
(घ) ईमेरा आई० डी०—		
5*. पिता का विवरणी (यदि ज्ञात हो):-		17. दत्तक पिता का व्यवसायः
(क) नाम		18. दत्तक माता का व्यवसायः
(ख) आधार संख्या (चिन्न उपलब्ध के)—	1	10. प्राप्त नाता का व्यवसाव.
(ग) मोबाईल नंo-	-	
(१) नाबाइल नव-		
6. दत्तक बच्चे का डीड/आदेश का विवरण:—		
(क) तारीख:-		
(ख) डीड/आदेश संख्या:-		
7. दत्तक माता का विवरणी:—		
(क) नाम-		
(ख) आवार संख्या (यदि उपलब्ध क्रे)—		
(ग) मोबाईल नं०-	4L2	
(ঘ) ईमेरा आई০ ডী০—		
8. दत्तक पिता का विवरणी :- (क) नाम-	जान	
	मु	
(ख) आवार संख्या (प्रदि उपलब्ध हो)-	ক	
(ग) मोबाईल नं०-	अ	
(ঘ) র্ন্নল আর্হ্ ত ত্রী০—	16	
9. दत्तक डीड / आदेश के अनुसार दत्तक माता—पिता का पता :	प्रशोधन	
मकान सं०— मोडल्ला— वार्ड नं० (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)—	1	
शहर/गाँव- उप-जिला- जिला-	45	
राज्य / सं०रा०क्षे०—	सांख्यिकी	
10. दत्तक माता-पिता का स्थाई पता :-	4	
मकान सं०- मोडल्ला- वार्ड नं० (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)-	200	
शहर∕ गाँव- उप−जिला- जिला-	अलग	
राज्य / सं०रा०क्षे० — पिनकोड—	िल	
11. जन्म का स्थान:- (नीचे दिये गए उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 चिन्छित करें एवं "अस्पताल / संस्थान" का नाम और पता		
या "घर" या "अन्य स्थान", का पता, जहाँ जन्म हुआ है, तिखें)।		
1. अस्पतारा / संस्थान- नाम:-		
2. घर 3. अन्य स्थान पता:— मकान संख्या— मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर की रहा में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— उप—जिला—		
जिला– राज्य / सं०रा०क्षे० – पिनकोड-		
12. यदि किसी संस्थान के माध्यम से गोद लिया गया है तो, संस्थान का पता लिखें.— मकान संo— मोहल्ला— वार्ड नंo (शहर की स्थिति में और यदि		
उपलब्ध हो)- शहर/गाँव- उप-जिला- जिला-		
राज्य / सं०रा०क्षे० – पिनकोड–		
13. सूचनादाता का विवरणी:		
(क) नाम-		
	-	
(ख) आधार संख्या (यह उपलब वो)-	-	
(ग) मोबाईल नं०-		
(ঘ) ईमेल आई० ত্তী০—		
(ड) पता:— मकान सं०- मोडल्ला— वार्ज नं० (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)—		
शहर/गाँव- उप-जिला- जिला-		
राज्य / सं०रा०क्षे० – पिनकोउ-		
घोषणा— 🗖 मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गयी सूचना सड़ी है। मैं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए जन्म और		
मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की घारा 23 के तहत दण्ड/ जुर्माने से अवगत हूँ। इसके अलावा,		
में आबार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण पडचान के लिए आबार (वित्तीय और अन्य सिसडी, लाम और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता हूँ।		
लाखत ।वतरण) आधानयम्, २०१६ क तहत मा सहमात दता हू । (१ से १८ तक समी कॉलम पूरा करने के उपरांत, सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेंगे।)		
दिनांक-   -   -		800 000 0000 10 M 80 D 8000 0000
		(कॉलम की प्रविष्टि पूर्ण हुई, अब बाई ओर हस्ताक्षर अंकित करेंगे)
सूचनादाता का इस्ताक्षर या बायें हाथ के अंगूठे का निशान	-	प्रतिकाम वाल भाग न्यानीमा
रिजस्ट्रार द्वाच बरा जायेगा	-	रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा नाम कोड संख्या
रजिस्ट्रीकरण संख्याः		नाम कोड संख्या
रजिस्ट्रीकरण दिनांक:		उप-जिला
रजिस्ट्रीकरण इकाई		शहर/गाँव
शहर/गाँव		रजिस्ट्रीकरण इकाई: रजिस्ट्रीकरण संख्या:
उप–जिला:		रजिस्ट्रीकरण तिथि:
जिला: अभियुक्ति (चिंह रो)		जन्म की तारीख:
जारा कुनार (मान ४१)		
		लिंगः पुरूप / महिला / ट्रांसजेन्डर व्यक्ति
		जन्म का स्थान:- 1.अस्पतारा / संस्थान 2.मकान 3.अन्य स्थान
रजिस्ट्रार का नाम और दस्ताक्षर		रजिस्ट्रार का नाम और इस्ताक्षर
37781		राजर्भर पर्ग नाम आर उस्तावर

प्ररूप-1क (दत्तक बच्चे का जन्म रिपोर्ट) भरने हेतु निर्देश

तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख लिखी हों उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हज लिखा जाएगा।  यदि जन्म तिथि अज्ञात है, तो गोद लेने के आदेश या दस्तावेज (डीड) में दर्शाई गई ज को रिकार्ड करें, जैसा भी मामला हो।  तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप का प्रयोग करें।  2 "पुरूष" या "महिला" या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" संक्षिप्तीकरण का प्रयोग न करें।  1, जा, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (भध्य नाम) (अत्तिम नाम) के प्ररूप (For चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अतिम नाम में से किस कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।  9,10,11,12,13 पता, जहाँ कहीं वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (संवरावक्षेत्र) का नाम उप─जिला, शहर या गाँत, वार्ड संख्या (शहर को दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ल संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।  शिक्षा का स्तर—इनमें से कोई एक लिखें—  1, प्री—प्राइमरी 6. वा. कक्षा—1 वा. कक्षा—1 वा. चि. स्नातक / पूर्वस्नातक सिक्षा संख्या कक्षा—5 वि. वि. वि. वि. स्नातक / पूर्वस्नातक सिक्षा वि. वि. स्नातक / पूर्वस्नातक सिक्षा वि.		प्ररूप–1क (	(दत्तक ब	च्चे का जन्म रिपोर्ट	) भरन हतु ।नदश				
अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख लिखी हों उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हज लिखा जाएगा।  यदि जन्म तिथि अज्ञात है, तो गोद लेने के आदेश या दस्तावेज (डीड) में दर्शाई गई ज को रिकार्ड करें, जैसा भी मामला हो।  तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप का प्रयोग करें।  2 'पुरूष' या 'महिला' या ''ट्रांसजेन्डर व्यक्ति' संक्षिप्तीकरण का प्रयोग न करें।  3,4,5,7,8,13 नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररूप (For दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिख चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किस कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।  9,10,11,12,13 पता, जहाँ कही वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (संवरावके) का नाम उप—जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ल संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।  शिक्षा का रतर-इनमें से कोई एक लिखें—  1. प्री—प्राइमरी 6. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि	मद संख्या		निर्देश						
को रिकार्ड करें, जैसा भी मामला हो।  तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप का प्रयोग करें।  2 "पुरूष" या "महिला" या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" संक्षिप्तीकरण का प्रयोग न करें।  3,4,5,7,8,13 नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररुप (For दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिख चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किर्स कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।  9,10,11,12,13 पता, जहाँ कहीं वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (संठराठक्षेठ) का नाम उप—जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ल संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।  शिक्षा का स्तर—इनमें से कोई एक लिखें—  15,16  15,16  1, प्री—प्राइमरी 6.   11. कक्षा—10   16. स्नातक / पूर्वस्नातक शिक्षा के साक्षर   22. निर किक्षा—6   3. कक्षा—2   8.   13. कक्षा—11   17. स्नातकोत्तर   22. निर किक्षा—7   4. कक्षा—3   9.   14. आई० टी० आई०   19. एम० फिल कक्षा—8   5. कक्षा—4   10.   15.   20. डॉक्टरेट एवं कक्षा—8   5. कक्षा—4   10.   15.   20. डॉक्टरेट एवं जक्षा—9   डिप्लोमा / सर्टिफिकेट   उससे ऊपर   (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें) व्यवसाय—निम्निलिखित में से कोई एक लिखें—1. कृषक   2. कृषि मजदूरी   3. वैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)	1,6	तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख शब्दों में लिखी हों उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हजार तेईस लिखा जाएगा।							
का प्रयोग करें     2					दस्तावेज (डीड) में दर्शा	ाई गई जन्म तिथि			
जिस्सा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा मान) (अस्तिम नाम) के प्ररुप (For दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिख चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किर्स कम से कम वो अक्षर होने चाहिए।    9,10,11,12,13			<u>ब्यात्मक</u> प्री	वेष्टियों के रिकार्ड करने	के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,	9 के रूप में अंकों			
जिस्सा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा मान) (अस्तिम नाम) के प्ररुप (For दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिख चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किर्स कम से कम वो अक्षर होने चाहिए।    9,10,11,12,13	2	''पुरूष'' या ''महिल	ग" या "ट्रां	सजेन्डर व्यक्ति'' संक्षिप्ती	करण का प्रयोग न करें।				
विया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिख चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किसी कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।  9,10,11,12,13  पता, जहाँ कहीं वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (सं०रा०क्षे०) का नाम उप─जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ल संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।  शिक्षा का रतर─इनमें से कोई एक लिखें:─  15,16  15,16  15,16  15,16  15,16  16.  17.  18.  18.  18.  19.  14. आई० टी० आई०  19. एम० फिल  कक्षा─8  14. आई० टी० आई०  19. एम० फिल  कक्षा─8  14. आई० टी० आई०  19. एम० फिल  कक्षा─8  5. कक्षा─4  10.  15.  15.  15.  16.  17.  18.  18.  18.  19.  19.  19.  19.  10.  10.  10.  11.  10.  10	3,4,5,7,8,13					रुप (Format) में			
उप—जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ल संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।  शिक्षा का स्तर—इनमें से कोई एक लिखें:—  1. प्री—प्राइमरी 6. 11. कक्षा—10 16. स्नातक / पूर्वस्नातक शिक्षा वे साक्षर  2. कक्षा—1 7. 12. कक्षा—11 17. स्नातकोत्तर 22. निरु कक्षा—6 3. कक्षा—2 8. 13. कक्षा—12 18. मास्टर / र्नातकोत्तर 4. कक्षा—3 9. 14. आई० टी० आई० 19. एम० फिल कक्षा—8  5. कक्षा—4 10. 15. 20. डॉक्टरेट एवं उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर ऑकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें— 1. कृषक 2. कृषि मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिखा जाना चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किसी एक में							
1. प्री-प्राइमरी 6. 11. कक्षा-10 16. रनातक / पूर्वस्नातक शिक्षा व साक्षर  2. कक्षा-1 7. 12. कक्षा-11 17. स्नातकोत्तर 22. निरु कक्षा-6  3. कक्षा-2 8. 13. कक्षा-12 18. मास्टर / स्नातकोत्तर 4. कक्षा-7 14. आई० टी० आई० 19. एम० फिल कक्षा-8  5. कक्षा-4 10. 15. 20. डॉक्टरेट एवं उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:-यिद कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय-निम्नलिखित में से कोई एक लिखें-  1. कृषक  17,18 2. किष मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)	9,10,11,12,13	,							
कक्षा-5   स्नातक / पूर्वस्नातक   शिक्षा व साक्षर		शिक्षा का स्तर—इनमें से कोई एक लिखें:—							
कक्षा—6 डिप्लोमा  3. कक्षा—2 8. 13. कक्षा—12 18. मास्टर / रनातकोत्तर  4. कक्षा—3 9. 14. आई० टी० आई० 19. एम० फिल कक्षा—8  5. कक्षा—4 10. 15. 20. डॉक्टरेट एवं उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें—  1. कृषक  17,18 2. कृषि मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)	15,16	1. प्री—प्राइमरी		11. कक्षा—10		21. औपचारिक शिक्षा के बिना साक्षर			
कक्षा—7 मास्टर / स्नातकोत्तर  4. कक्षा—3 9. 14. आई० टी० आई० 19. एम० फिल कक्षा—8  5. कक्षा—4 10. 15. 20. डॉक्टरेट एवं कक्षा—9 डिप्लोमा / सर्टिफिकेट उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें—  1. कृषक  2. कृषि मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		2. कक्षा—1		12. कक्षा—11		22. निरक्षर			
कक्षा—8  5. कक्षा—4  10. 15. कक्षा—9 डिप्लोमा / सर्टिफिकेट उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें—  1. कृषक  2. कृषि मजदूरी  3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		3. कक्षा—2							
कक्षा—9 डिप्लोमा / सर्टिफिकेट उससे ऊपर  (शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:—यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकि छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें)  व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें—  1. कृषक  2. कृषि मजदूरी  3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		4. कक्षा-3		14. आई० टी० आई०					
छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छः अंकित करें) व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें— 1. कृषक 17,18 2. कृषि मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		5. कक्षा—4			•				
17,18 2. कृषि मजदूरी 3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)		व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें—							
<ul> <li>4. एकल / पारिवारिक श्रीमेक / स्वरोजगार</li> <li>5 नियोक्ता</li> <li>6. सरकारी कर्मचारी</li> <li>7. निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अलावा)</li> <li>8. घरेलू सहायक</li> </ul>	17,18	<ol> <li>कृषक</li> <li>कृषि मजदूरी</li> <li>दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)</li> <li>एकल / पारिवारिक श्रमिक / स्वरोजगार</li> <li>नियोक्ता</li> <li>सरकारी कर्मचारी</li> <li>निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अलावा)</li> </ol>							

टिप्पणी:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के तहत् गोद लिए गए बच्चे के जन्म की घटना की सूचना (रिपोर्ट) के लिए सूचनादाता जिम्मेदार होगा। सूचनादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि गोद लिए गए बच्चे का जन्म रिपोर्ट फार्म में यथासंभव कोई भी प्रविष्टि खाली न छोड़ा जाय।

प्ररूप संख्या—2 (नियम 5 देखें)	प्ररूप संख्या—2 (नियम 5 देखें)
मृत्यु रिपोर्ट	मृत्यु रिपोर्ट
विधिक सूचना	सांख्यिकी सूचना
(निर्देश के लिए पीछे देखें)	(निर्देश के लिए पीछे देखें)
इस भाग को मृत्यु रजिस्टर में जोड़ा जाएगा	इस भाग को अलग कर सांख्यिकी प्रशोधन के लिए भेजा जायेगा
सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा	सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा
1. मृत्यु की तारीखः	11. मृतक के निवास का शहर या गाँव (सामान्यत: जहाँ मृतक निवास
2. मृतक का विवरणी:	करता / करती है। यह मृत्यु के स्थान से भिन्न हो सकता है।
(a) नाम	उपर्युवत प्रविप्टि 'शहर' या गाँव' को चिन्डित करें और उसका नाम
	अंकित करें।
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)—	शहर या गाँवः
(ग) जन्म तिथि (यदि उपलब्ध हो)—	उप–जिलाः
(घ) आयु (पूर्ण वर्षो में):-	जिला :
3. लिंग ('पुरूप'' या "मिटिला'' या "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" लिखें):—	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र:
4. माता का विवरणी:-	पिनकोड़ :
(क) नाम—	111370
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)—	12. धर्म [उपयुवत धर्म अंकित करें ''हिन्दू'' या ''मुस्लिम'' या ''इसाई''
(ग) मोबाईल नं०-	या 'सिख' या 'बौद्ध' या "जैन' या ''अन्य'' (कृपया उल्लेख
(घ) ईमेल आई० डी०—	करें)]:
5. पिता का विवरणी:-	4,7].
(क) नाम:-	40 मनक का व्यवसाय
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो):-	13. मृतक का व्यवसाय:—
(ग) मोबाईल नंo:—	14. मृत्यु के पूर्व उपलब्ध चिकित्सा सहायता का प्रकार (नीचे
(घ) ईमेल आई० डी०:-	उपयुवत प्रविप्टि को चिन्डित करें):-
6. जीवनसाथी (पति / पत्नी) का विवरणी:	1. संस्थागत
(क) नाम :-	2. संस्थान के अलावा अन्य चिकित्सा सहायता
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो):-	कोर्न सिकिन्मीय ग्रामाना नहीं
(ग) जन्म तिथि (यदि उपलब्ध हो) :-	vito.
(घ) आयु (पूर्ण वर्षों में):	हि 
(ङ) मोबाईल संख्या :-	
(च) ईमेल आई० डी० :-	(本)
	∤ਹ 1. ਹੈਂ ₫Σ 2 ਜਵੀਂ
7. मृत्यु के समय मृतक का पता :- मकान सं०-	46
मोडल्ला— वार्ड नं० (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)—	
शहर ∕ गाँव— उप—जिला— जिला—	चाहे वह चिकित्सीय प्रमाणित हो अथवा नहीं) :-
राज्य / सं०रा०क्षे०— पिनकोड—	
8. मृतक का स्थायी पता :—	ि । स्त्री की मृत्यु की दशा में, क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
मोडल्ला– वार्ड नं० (शहर की स्थिति में और यदि उपलब्ध हो)–	2 17. स्त्री की मृत्यु की दशा में, क्या मृत्यु गर्भावस्था, प्रसव के समय या
शहर / गाँव- उप-जिला- जिला-	
राज्य / सं०रा०क्षे० – पिनकोड- 🔲 📗	प्रिविप्टि को चिन्टित करें):—
9. मृत्यु का स्थान:- (नीचे दिये गए उपयुवत प्रविप्टि 1 या 2 या 3 चिन्टित करें एवं	हि 1. ਹੈਂ ਲ
"अस्पताल / संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान" का पता, जहाँ मृत्यु हुआ है,	ਲ 2. नदीं
लिखें)।	18. यदि धुम्रपान करने के आदी थे ?
1. अस्पताल / संस्थान- नाम:-	(कितने वर्षों से):
2. घर 3. अन्य स्थान पता:— मकान संख्या—	Value 10 to
मोहल्ला– वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)–	19. यदि किसी रूप में तम्बाकू (खैनी / सुरती) खाने के आदी थे ?
शहर / गाँव- उप-जिला- जिला-	(कितने वर्षों से):
राज्य / संवरावक्षेव – पिनकोड-	20. यदि किसी रूप में सुपारी (कसैली) खाने के आदी थे ?
10. सूचनादाता का विवरणी:-	(कितने वर्षों से):-
(क) नाम	(17.11.1.11)
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)	21. यदि मद्यपान करने के आदी थे ?
(ग) मोबाईल नं०-	(कितने वर्षों से):-
(घ) ईमेल आई०डी०-	(14/11) MAIL (1).—
(इ) <b>पता:</b> — मकान संo—         मोडल्ला—	
यदि उपलब्ध हो)— शहर/गाँव- उप-जिला-	
जिला– राज्य / सं०रा०क्षे० – पिनकोड–	
घोषणा—   मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गयी सूचना सही है। मैं गलत सूचना प्रस्तुत करने के   लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की घारा 23 के तहत दण्ड∕ जुर्माने	
से अवगत हूँ। इसके अलावा, मैं आघार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण पढचान के लिए आधार	
(वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाम और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता	
हैं।	
नेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार मृतक के आधार का विवरण उपलब्ध नहीं है।	
(1 से 21 तक सभी कॉलम पूरा करने के उपचंत, सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेंगे।)	
दिनांक:	
	(कॉलम की प्रविष्टि पूर्ण हुई, अब बाई ओर हस्ताक्षर अंकित करेंगे)
सूचनादाता का दस्ताक्षर या बायें द्याथ के अंगूटे का निशान	
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा	रिजस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
रजिस्ट्रीकरण संख्या:	नाम कोड संख्या
रजिस्ट्रीकरण तिथि:-	उप–जिला
रजिस्ट्रीकरण इकाई:	शहर/गाँव
शहर∕गाँव:-	रजिस्ट्रीकरण इकाई:
ਰਧ–ਯਿਕਾ:-	रजिस्ट्रीकरण संख्या:
जिला:-	रजिस्ट्रीकरण तिथि:
अभियुवित (यदि हो):	जन्म की तारिख:
मृत्यु का कारण (प्ररूप 4/4क के अनुसार):	लिंगः पुरूप / मिटला / ट्रांसजेन्डर व्यक्ति
S.S. 201 ALC I BURNET AT AN ANGRUIN.	मृत्यु का स्थान: 1. अस्पताल / संस्थान 2. मकान 3.अन्य स्थान
वृद्धित्यम्य का याम भीव स्वताध्य	354 1 1 1
रजिस्ट्रार का नाम और हस्ताक्षर	रजिस्टार का नाम और हस्ताक्षर

# प्ररूप–2 (मृत्यु रिपोर्ट) भरने हेतु निर्देश

मद संख्या	निर्देश
1	तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख शब्दों में लिखी हों उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हजार तेईस लिखा जाएगा तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप में अंकों का प्रयोग करें।
2,4,5,6,10	नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररुप (Format) में दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिखा जाना चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किसी एक में कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।
3	"पुरूष" या "महिला" या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" लिखें, संक्षिप्तीकरण का प्रयोग न करें।
2घ	यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से अधिक हो, तो उम्र पूरे वर्षों में, यदि मृतक की आयु 1 वर्ष से कम हो, तो उम्र महिनों में और यदि आयु 1 महिने से कम हो, तो उम्र दिनों में तथा यदि आयु 1 दिन से कम हो, तो उम्र घण्टों में दें।
7,8,9,10	पता, जहाँ कहीं वह आता है, में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (सं०रा०क्षे०) का नाम, जिला, उप–जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ला, मकान संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।
9	मृत्यु का स्थान के लिए (सही प्रविष्टि को चिन्हित करें) 1. अस्पताल / संस्थान 2. घर 3. अन्य स्थान
	("अस्पताल / संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य जगह" का पता, जहाँ मृत्यु हुआ है, लिखें।)
11	मृतक के निवास का शहर या गाँव:— सामान्यतः जहाँ मृतक निवास करता / करती है। यह मृत्यु के स्थान से भिन्न हो सकता है। घर का पता अंकित करना आवश्यक नहीं है।
13	व्यवसाय—निम्नलिखित में से कोई एक लिखें:—  1. कृषक  2. कृषि मजदूर  3. दैनिक वेतन भोगी (कृषि मजदूर के अलावा)  4. एकल/पारिवारिक श्रमिक/स्व—रोजगार  5 नियोक्ता  6. सरकारी कर्मचारी  7. निजी कर्मचारी (घरेलू सहायक के अलावा)  8. घरेलू सहायक  9. गैर—कार्यकर्त्ता

नोट:— सूचनादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु रिपोर्ट फार्म में यथासंभव कोई भी प्रविष्टि खाली न छोड़ा जाय। प्ररूप सं० 3 (नियम 5 देखें) मृत—जन्म रिपोर्ट विधिक सूचना (निर्देश के लिए पीछे देखें) इस भाग को मृत—जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा प्ररूप संo 3 (नियम 5 देखें) मृत—जन्म रिपोर्ट सांख्यिकीय सूचना (निर्देश के लिए पीछे देखें) इस भाग को अलग कर सांख्यिकीय प्रशोधन में भेजा जायेगा

सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा			सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा
1. जन्म की तारीख:		7.	माता के निवास का शहर या गाँव:— (सामान्यतः जटाँ माता निवास करती है। यट प्रसव के स्थान से मिन्न हो सकता है। नीचे अंकित उपयुवत प्रविधिट "शहर' या "गाँव को चिन्टित करें एवं उसका नाम अंकित करें)।
(क) नाम :-			शहर या गाँव:-
			उप–जिला–
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :			তিল⊢
(ग) मोबाईल संख्या :			राज्य / संघ राज्य क्षेत्र—  पिन कोड—
4. माता की विवरणी:—			144 4/16
(क) नाम :-		8.	प्रसव के समय माता की आयु (पूरे वर्षों में):
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :		9.	माता की शिक्षा का स्तर:—
5. जन्म का स्थान— (नीचे दिये गए उपयुक्त प्रविध्ति 1 या 2 या 3 चिन्हित करें एवं 'अस्पताल/ संस्थान' का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान", का पता, जहाँ जन्म हुआ है, लिखें)। 1. अस्पताल/संस्थान— नाम:—	जाना थ	10.	प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार (नीचे अंकित उपयुक्त प्रविद्धि चिन्दित करें):-
2. घर 3. अन्य स्थान पता:– मकान संख्या–	गु		1. संस्थागत—सरकारी
	बिय		<ol> <li>संस्थागत—निजी या गैर सरकारी</li> <li>चिकित्सक, नर्स, या प्रशिक्षित दाई</li> </ol>
मोहल्ला– वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)–   शहर/गाँव– उप–जिला– जिला–	16		4. पारम्परिक प्रसाविका
राज्य / सं०रा०क्षे०- पिन कोड-	प्रशोधन		5. रिश्तेदार या अन्य
6. सूचनादाता का विवरणी:—			
(क) नाम :-	सांख्यिकी	11.	गर्भावस्था की अवधि (सप्ताहों में):
(ख) आधार संख्या (अगर उपलब्ध हो) :	कर स		
(ग) मोबाईल संख्या :	अलग व	12.	भ्रूण मृत्यु का कारण (यदि ज्ञात हो):
(घ) ईमेल आई० डी०:	हि		
(ङ) पता:— मकान संख्या— मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर			
की दशा में और यदि उपलब्ध हो) —			
राज्य/सं०रा०क्षे० – पिन कोड-			
घोषणा— 🗆 मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गयी सूचना सही है। मैं गलत सूचना प्रस्तुत करने			
के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (२०२३ में संशोधित) की घारा २३ के तहत दण्ड/जुर्मान से अवगत हूँ। इसके अलावा, मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण पहचान के			(एक से अधिक जन्म के मामलें में, प्रत्येक बच्चे के लिये अलग फार्म भरें और नीचे दिए गए बाँये ओर बॉक्स के अभियुवित कॉलम में,
लिए आघार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाम और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता हूँ।			जैसा भी मामला हो, "जुड़वां" या "तिहरा" का उल्लेख करें)
(1 से 12 सभी कॉलम पूरा करने के उपरांत, सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेंगे)			
तिथिः			
   सूचनादाता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान			
			(कॉलम की प्रविप्टि पूर्ण हुई, अब बाई ओर हस्ताक्षर अंकित करेंगे)
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा			रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
रजिस्ट्रीकरण संख्या:-			नाम कोड संख्या
रजिस्ट्रीकरण तिथि:-			जिला
रजिस्ट्रीकरण इकाई:-			उप-जिला शहर / गाँव
शहर/गाँव:-			रजिस्ट्रीकरण इकाई:
चप–जिला:–			रजिस्ट्रीकरण संख्या:-
জিলা:–			रजिस्ट्रीकरण तिथिः
अभियुक्ति (यदि हो):-			लिंग:— पुरूष/महिला/ट्रांसजेन्डर व्यवित
			जन्म का स्थान:—1. अस्पताल / संस्थान
रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर			रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

# प्ररूप-3 (मृत-जन्म रिपोर्ट) भरने हेतु निर्देश

मद संख्या		निर्देश						
	तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में							
1	और वर्ष को चार अंकों में दि	या जायेगा। जहाँ	र्गभीत	गरीख शब्दों में लिखी	हो उसे प	रा लिखा ज	ाना चाहिए	जैसे—01—01—2023 को पहर
	जनवरी दो				`	.,		
	। हजार तइस ।लर । का प्रयोग करें।	લા બાઇના   ાતાર	ા	अन्य संख्यात्मक प्रावाध	टया क १२०	काड करन व	h IMY 0,1	,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप में अंव
2				त" लिखें, संक्षिप्तीकरण			,	\. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
3,4,6	(संक्षिप्तीकरण नर्ह	ों) बड़े अक्षर (C	apita	, , , , , ,	जाना चार्	हेए तथा पह	. ,	नें दिया जायेगा, जहाँ पूरा न ानिवार्य है। प्रथम नाम या मध
5,6	पता, जहाँ कहीं व	वह आता है, में	राज्य र	या संघ राज्य क्षेत्र (सं	ं०रा०क्षे०) क	ा नाम, जिल		ला, शहर या गाँव, वार्ड संख
3,0	(शहर की दशा में जन्म का स्थान के			मोहल्ला, मकान संख	या और पि	न कोड अंतर्रि	र्वेष्ट (Cor	tain) होगा।
	ा. अस्पताल / र	•	lv⊂ qoi	। ।यान्हत कर).—				
5	2. घर	તભાગ						
	3. अन्य स्थान					ů.		Q . V
				या "घर" या "अन्य ज				लिखे।) से भिन्न हो सकता है। घर व
7	माता क निवास व   पता अंकित करना			मान्यतः जहा माता ।नव	गस करवा	ह। यह प्रस	व क स्थान	स मिन्न हा सकता ह। घर व
	शिक्षा का स्तर–इ			_				
	1. प्री—प्राइमरी	6. कक्षा—5	11 7	ज्क्षा—10	16 उनाट	क्ट / पर्वञ्चात		21. औपचारिक शिक्षा के
		0. 4/411—3	П. Ч	7411—10	16. स्नातक / पूर्वस्नातक		147	21. जापपारिक सिद्धा पः   बिना साक्षर
9	2. कक्षा—1	7. कक्षा—6		ज्क्षा—11	17. स्नातकोत्तर डिप्लोमा			22. निरक्षर
	3. कक्षा—2	8. कक्षा-7		रुक्षा−12	18. मास्टर / स्नातकोत्तर		तर	
	4. कक्षा—3	9. कक्षा—8 10. कक्षा—9		गर्इ० टी० आई० डेप्लोमा / सर्टिफिकेट	19. एम० फिल 20. डॉक्टरेट एवं उससे ऊपर		जो ज्ञान	
	5. कक्षा-4			*				
	(शिक्षा का पूर्ण स्तर अंकित करें यथा:— यदि कक्षा सातवीं तक पढ़ाई किया गया है लेकिन केवल छठी कक्षा उत्तीर्ण किया गया है, तो कक्षा छ अंकित करें)							
12	भ्रूण मृत्यु का कारण— इनमें से कोई एक लिखें:—							
		g (Hamorrhag		7. Diabetes in the mother			13. Infection in the mother Parvovirus B19	
		s with Placer		8. Infection in the mother Coxsackie virus			fever	ection in the mother Q
	3. Problem with umbilical 9. Infection in the mother 15. Infection in the n							
	cord	•	Herpes simplex Rubella (German measles)  10. Infection in the mother 16. Infection in the mother					
	4. Pre-ecla	mpsıa		Leptospirosis	in the	mother	16. Ini Flu	fection in the mother
	5. Genetic	physical de	efect	11. Infection	in the	mother		fection in the mother
	in the baby	7		Lyme disease			Toxopl	amosis
		disorder in		12. Infection	in the	mother	18. Not	stated
	mother	(obste	stric	Malaria				
	cholestas)							

# प्ररूप सं. 4 (नियम 7 देखें) मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण–पत्र

(अन्तः अस्पताल रोगियों के लिए, मृत जन्म के लिए उपयोग नहीं किया जाए) प्ररूप संख्याः 2 (मृत्यु रिपोर्ट) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाए इस प्रमाण–पत्र की एक प्रति निकटतम रिश्तेदार को प्रदान की जाएगी

में

अस्पताल का नाम	अस्पताल का नाम					
मैं प्रमाणित करता हूँ कि जिस	व्यक्ति का	विवरण नीचे दिया	गया है, उसकी मृ	त्यु अस्पताल के वार्ड	संख्या	
दिनांक को			-	्र १/अपराह्न में हुई है		
<u> </u>			<b>C</b> , ,			
मृतक का नाम	प्रथम		मध्य नाम	अन्	तम नाम	
		मृत्यु के स	मय आयु		सांख्यिकी कार्यालय	
अधिक	आयु १ या वर्ष हो, तो पूरे वर्षी में	यदि आयु 1 वर्ष से कम हो, तो आयु महिनों में	यदि आयु 1 महिने से कम हो, तो आयु दिनों में	यदि आयु 1 दिन से कम हो, तो आयु घण्टों में	के उपयोग के लिए	
1. पुरूष 2. स्त्री 3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति मृत्यु का कारणः—  I तात्कालिक कारणः— उस बीमारी, चोट या बताएं, जिसकी वजह से मृत्यु मृत्यु का कारण, उदाहरण हृदपात (दिल का दौरा),	उलझन को हुई, न की के लिए:–	(क) के कारण (या के प				
(कमजोरी) इत्यादि।  पूर्ववर्ती कारणः—  रोगग्रस्त / विकृत दशा, कारणों को बढ़ावा देती अन्तर्निहित स्थितियों को बतायें  II  मृत्यु के लिए अन्य को स्थिति जिसका उस बीमारी या ह	है, अंतिम । ।ई महत्वपूर्ण ।लत से कोई	(ख) के कारण (या के परिणाम स्वरूप)  (ग)				
मृत्यु का प्रकार	मृत्यु का प्रकार क्षिति / चोट कैसे हुई ?					
1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 3. आत्महत्या 4. मानव हत्या 5. लम्बित अनुसंधान						
यदि मृतक महिला थी, क्या मृत्यु गर्भावस्था में हुई है? (1) हाँ 2) नहीं						
यदि हाँ, तो क्या कोई प्रसव हुआ था ?						
मृत्यु का कारण को प्रमाणित करने वाले चिकित्सा अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर सत्यापन की तारीख						

### मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम:— [प्रथम नाम] [मध्य नाम] [अंतिम नाम] के प्ररूप में दिया जाना है जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और पहला नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में कम से कम दो अक्षर होना चाहिए। यदि मृतक एक शिशु है, मृत्यु के समय नाम नहीं रखा गया है, उसे खाली छोड़ें।

आयु:— यदि मृतक की आयु एक वर्ष या अधिक है तो आयु पूर्ण वर्षों में लिखें। यदि एक वर्ष से कम है तो आयु महिनों में लिखें, यदि एक महिने से कम हो, तो पूर्ण किये गये दिनों में दें, और यदि एक दिन से कम है तो घंटों में आयु लिखें।

मृत्यु का कारणः - प्ररूप के इस भाग को चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए।

मृत्यु के कारण का प्रमाण-पत्र दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग I और भाग II. भाग I को पुनः तीन भागों में, अर्थात् पंक्ति (क), (ख) और (ग) में विभाजित किया गया है। यदि एक रोगग्रस्त / विकृत दशा से ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है तो वह भाग I की पंक्ति (क) पर लिखा जाएगा और भाग I या भाग II में और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरणार्थ चेचक (smallpox), पालियुक्त निमोनिया (lobar pneumonia), हृदीय बेरी—बेरी (cardiac beriberi) आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और सामान्यतः इससे ज्यादा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि अक्सर, मृत्यु के समय कई विकृत दशाएँ विद्यमान हो सकती हैं और तब चिकित्सक को, प्रमाण—पत्र सही विधि से भरना चाहिए तािक सही अन्तर्निहित कारण निकाला जा सके। सर्वप्रथम मृत्यु के तात्कािलक कारण को भाग I (क) में अंकित कीिजए। इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, अर्थात् हृद्यगति का अवरोध, श्वसन क्रिया में अवरोध आदि। ये बातें प्रमाणपत्र में बिल्कुल नहीं लिखी जानी चाहिएं क्योंिक वे मृत्यु की प्रक्रियाएं हैं न कि मृत्यु का कारण। तत्पश्चात् उन कारणों को लें जहाँ मृत्यु का तत्कािलक कारण पेचिदा हो या कुछ अन्य कारणों का दूरगामी परिणाम हो, यदि वैसा हो तो पूर्ववर्ती कारण को भाग I की पंक्ति (ख) में अंकित कीिजए। कभी—कभी मृत्यु की घटनाओं के तीन स्तर की प्रक्रियाएँ होंगी। यदि वैसा हो, तो पंक्ति (ग) पूरे की जानी चाहिए। सारणीयन किए जाने वाले मूल कारण हमेशा भाग I के अन्त में अंकित जाना चाहिए।

ऐसी रोग ग्रस्त / विकृत दशाएँ या चोट जो घटित घटनाओं के सिलसिलें में मृत्यु के कारण से सीधे संबंधित नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का कारण बनी। कभी—कभी चिकित्सक के लिए यह विनिश्चय करना कठिन हो जाता है, विशेषतया शिशु—मृत्युओं के मामलों में, कि कई पृथक दशाओं में से मृत्यु का मुख्य कारण कौन सी दशा है किन्तु केवल एक ही कारण देना होता है अतः चिकित्सक को कारण विनिश्चित करना चाहिए। यदि अन्य रोग मूल कारण का परिणाम नहीं है तो वे भाग II में प्रविष्ट किए जाएंगे।

एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक शर्तें / कारण न लिखें। कृपया प्रमाण–पत्रों में बीमारियों का नाम (पूरे) यथासंभव सुपाठ्य रूप से लिखें ताकि उनके गलत पढ़े जाने के जोखिम से बचा जा सके।

प्रारम्भः— जहाँ तक सम्भव हो, बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच अनुमानित अन्तराल का स्तम्भ (कॉलम) पूरा भरिए, भले ही उसे लगभग रूप में भरिए, जैसा कि 'जन्म से', कई वर्षों से'।

दुर्घटना या हिंसा से हुई मृत्यु:— चोट का बाह्य कारण और चोट का स्वरूप दोनों आवश्यक हैं और उनका वर्णन किया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को चोट का वर्णन करना चाहिए। यह वर्णन किया जाना चाहिए कि शरीर के किस भाग को चोट /क्षति पहुंची है, और यदि दर्शाया गया है तो बाह्य कारण का पूर्णतया उल्लेख किया जाए। उदाहरण:— 1 (क) हाइपोस्टेटिक निमोनिया, (ख) गर्दन की हड्डी का टूटना (ग) घर से सीढ़ी से गिरना।

मातृ – मृत्यु: – गर्भावस्था और प्रसव सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर हेतु आश्वस्त हो लें। यह सूचना गर्भधारण करने योग्य आयु की सभी स्त्रियों के लिए आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई सम्बन्ध न रहा हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्वः— यदि कोई अधिक विशिष्ट कारण ज्ञात हो तो वृद्धावस्था (या वृद्धत्व) को मृत्यु का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। यदि मृत्यु के कारण के रूप में वृद्धावस्था का योगदान हो तो उसका उल्लेख भाग II में किया जाना चाहिए।

उदाहरण:– (क) पुराना ब्रोंकाइटिस (खांसी), II – वृद्धावस्था।

सूचना की पूर्णता:— रोगी का पूर्ण विवरण (case history) की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि जानकारी उपलब्ध है, तो यथेष्ट कारणों को उचित रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

उदाहरण—रक्तक्षीणता—यदि ज्ञात हो तो, रक्तक्षीणता का प्रकार बताइए। यदि ज्ञात हो, नवद्रव्य (Neoplasm)- सूचित करें कि शुरूआत है या असाध्य है और जब भी संभव हो, प्राथमिक नवद्रव्य के स्थान के साथ साइट का पता लगाएं, हृदय रोग— स्थिति का विशेष रूप से वर्णन कीजिए, यदि रक्ताधिक्य हृदय गति रूकना (congestive heart failure), फेफड़े का पुराना रोग (chronic on pulmonale) आदि का उल्लेख है, तो पूर्ववर्ती दशाओं का वर्णन कीजिए। टिटनेस— पूर्ववर्ती चोट का वर्णन कीजिए, यदि ज्ञात हो। शल्य क्रिया (ऑपरेशन)—वह स्थिति का वर्णन कीजिए, जिसके कारण शल्य क्रिया किया गया है। अतिसार (पेचिश)—विनिर्दिष्ट कीजिए कि वह अमाशा (बेसीलियरी) है या अमीबी आदि, यदि ज्ञात हो। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएँ — जटिलता का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। यक्ष्मा (टी.बी.)—प्रभावित अंगों का नाम दीजिए।

लाक्षणिक कथन:— ऐउन, अतिसार (दस्त की बीमारी), ज्वर, एसाइटीस, पीलिया, दुर्बलता आदि ऐसे लक्षण हैं जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी—कभी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता है, किन्तु यदि सम्भव हो, तो उस रोग का नाम दीजिए जिससे वह लक्षण उत्पन्न हुआ है।

मृत्यु का प्रकार:— यदि मृत्यु बिना बाह्य कारण है तो इसको प्राकृतिक (सामान्य) मृत्यु अंकित किया जाए। यदि मृत्यु का कारण ज्ञात हो परन्तु यह जानकारी नहीं हो कि मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या या मानव द्वारा हत्या से है तथा यह आगे अनुसंधान का विषय है तो मृत्यु के कारण अपरिवर्तनीय रूप से अंकित किया जाए और मृत्यु की रीति को 'लम्बित अनुसंधान' के रूप में दर्शाया जाए।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 10(2) के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु के कारण का एक प्रमाण—पत्र रजिस्ट्रार को दिया जायेगा और उसकी एक प्रति मृतक के निकटतम रिश्तेदार को दी जायेगी।

प्ररूप सं. 4क (नियम 7 देखें)

# मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(गैर संस्थागत मृत्यु के लिए, मृत-जन्म के लिए उपयोग नहीं किया जाए)

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधि	ोनियम, 1969 (20	123 में संशोधित) वे	ने तहत मृत्यु से संबंधि	त सूचना प्ररूप–2 (मृत्य	यु रिपोर्ट)
के स	ाथ रजिस्ट्रार को	देने हेत् संबंधित व	यक्ति को दिया जाना	हੈ)	

के साथ रजिस्ट्रार को देने हेतु संबंधित व्यक्ति को दिया जाना है)								
		त करता हूँ कि मृतक १						
								उपचाराधान
था / थी और उन	मकी ———	मृत्यु दिनांक—		को	बजे पूर्वाह्न	/ अपराह्नः	में हुई। ——	
मृतक का नाम		प्रथम नाम		1	स्य नाम		अन्तिम	नाम
				मृत्यु के स	ामय आयु			सांख्यिकी कार्यालय
लिंग		यदि आयु 1 या	यदि अ	ायु १ वर्ष	यदि आयु 1			के उपयोग
		अधिक वर्ष हो, तो		हो, तो			I	के लिए
		आयु पूरे वर्षी में	आयु म	ाहिनों में	तो आयु दिनों में	ਬਾਟ	ों में	
1. पुरूष								
2. स्त्री								
3. ट्रांसजेंडर व्यवि								
मृत्यु	ु का	कारण:				बीमारी की	: शुरूआत	
I						और मृत्यु		
तात्कालिक कार	ण:—		(क)		 परिणाम स्वरूप)	अनुमानित	अन्तराल	
		चोट या उलझन को	के कार					
बताएं, जिसकी	वज	ह से मृत्यु हुई, न की		•	,			
मृत्यु का का	रण,	उदाहरण के लिए:-						
हृदपात (दिल	का	दौरा), शक्तिक्षीणता	( )					
(कमजोरी) इत्या	ादि ।	•	(ख) के कारण (या के परिणाम स्वरूप)					
			के कार	ण (या के	परिणाम स्वरूप)			
पूर्ववर्ती ्कारणः		\ \						
		वृत दशा, जो उपरोक्त						
		वा देती है, अंतिम						
अन्तर्निहित स्थि	तिया	को बताये।	(ग)					
II	_	\	( 1)	•••••				
्र मृत्यु के	लिए	. अन्य कोई महत्वपूर्ण						
		मारी या हालत से कोई						
संबंध नहीं हो जिसके कारण मृत्यु हुई हो।								
यदि मृतक महिला थी, क्या मृत्यु गर्भावस्था में हुई है? (1) हाँ 2) नहीं								
यदि हाँ, तो क्या कोई प्रसव हुआ था ?								
			मत्य	का कारण	को प्रमाणित करने	वाले चिकित्स	ग अधिकारी	का नाम
			5,3	3/1 <b>3</b> /1\*1	और हर			ad 101
		<del>a</del>	तत्यापन क	ते तारीख	JI ( 0 )	1 1 1		
		`						
			अनदेशों व	हे लिए विप	रीत देंखें।			
अनुदेशों के लिए विपरीत देंखें।								

### मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र

प्ररूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नाम:— [प्रथम नाम] [मध्य नाम] [अंतिम नाम] के प्ररूप में दिया जाना है जहाँ पूरा नाम (संक्षिप्तीकरण नहीं) बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा और पहला नाम अनिवार्य है। [प्रथम नाम] या [मध्य नाम] या [अंतिम नाम] में कम से कम दो अक्षर होना चाहिए। यदि मृतक एक शिशु है, मृत्यु के समय नाम नहीं रखा गया है, उसे खाली छोड़ें।

आयु:— यदि मृतक की आयु एक वर्ष या अधिक है तो आयु पूर्ण वर्षों में लिखें। यदि एक वर्ष से कम है तो आयु महिनों में लिखें, यदि एक महिने से कम हो, तो पूर्ण किये गये दिनो में दें, और यदि एक दिन से कम है तो घंटों में आयु लिखें।

मृत्यु का कारण:- प्ररूप के इस भाग को चिकित्सा कर रहे चिकित्सक द्वारा खयं भरा जाना चाहिए।

मृत्यु के कारण का प्रमाण-पत्र दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग I और भाग II. भाग I को पुनः तीन भागों में, अर्थात् पंक्ति (क), (ख) और (ग) में विभाजित किया गया है। यदि एक रोगग्रस्त / विकृत दशा से ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है तो वह भाग I की पंक्ति (क) पर लिखा जाएगा और भाग I या भाग II में और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरणार्थ चेचक (smallpox), पालियुक्त निमोनिया (lobar pneumonia), हृदीय बेरी—बेरी (cardiac beriberi) आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण हैं और सामान्यतः इससे ज्यादा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, अक्सर, मृत्यु के समय कई विकृत दशाएँ विद्यमान हो सकती हैं और तब चिकित्सक को, प्रमाण-पत्र सही विधि से भरना चाहिए तािक सही अन्तर्निहित कारण निकाला जा सके। सर्वप्रथम मृत्यु के तात्कािलक कारण को भाग I (क) में अंकित कीिजए। इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, अर्थात् हृद्यगित का अवरोध, श्वसन क्रिया में अवरोध आदि। ये बातें प्रमाणपत्र में बिल्कुल नहीं लिखी जानी चािहएं क्योंिक वे मृत्यु की प्रक्रियाएं हैं न कि मृत्यु का कारण। तत्पश्चात् उन कारणों को लें जहाँ मृत्यु का तात्कािलक कारण पेचिदा हो या कुछ अन्य कारणों का दूरगामी परिणाम हो, यदि वैसा हो तो पूर्ववर्ती कारण को भाग I की पंक्ति (ख) में अंकित कीिजए। कभी-कभी मृत्यु की घटनाओं के तीन स्तर की प्रक्रियाएँ होंगी। यदि वैसा हो, तो पंक्ति (ग) पूरे की जानी चािहए। सारणीयन किए जाने वाले मृल कारण हमेशा भाग I के अन्त में अंकित जाना चािहए।

ऐसी रोग ग्रस्त / विकृत दशाएँ या चोट जो घटित घटनाओं के सिलसिलें में मृत्यु के कारण से सीधे संबंधित नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु का कारण बनी। कभी—कभी चिकित्सक के लिए यह विनिश्चय करना कठिन हो जाता है, विशेषतया शिशु—मृत्युओं के मामलों में, कि कई पृथक दशाओं में से मृत्यु का मुख्य कारण कौन सी दशा है किन्तु केवल एक ही कारण देना होता है अतः चिकित्सक को कारण विनिश्चित करना चाहिए। यदि अन्य रोग मूल कारण का परिणाम नहीं है तो वे भाग II में प्रविष्ट किए जाएंगे।

एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक शर्तें / कारण न लिखें। कृपया प्रमाण–पत्रों में बीमारियों का नाम (पूरे) यथासंभव सुपाठ्य रूप से लिखें ताकि उनके गलत पढ़े जाने के जोखिम से बचा जा सके।

प्रारम्मः— जहाँ तक सम्भव हो, बीमारी की शुरूआत और मृत्यु के बीच अनुमानित अन्तराल का स्तम्भ (कॉलम) पूरा भरिए, भले ही उसे लगभग रूप में भरिए, जैसा कि 'जन्म से', कई वर्षों से'।

दुर्घटना या हिंसा से हुई मृत्युं:— चोट का बाह्य कारण और चोट का स्वरूप दोनों आवश्यक हैं और उनका वर्णन किया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को चोट का वर्णन करना चाहिए। यह वर्णन किया जाना चाहिए कि शरीर के किस भाग को चोट /क्षति पहुंची है, और यदि दर्शाया गया है तो बाह्य कारण का पूर्णतया उल्लेख किया जाए। उदाहरण:— 1 (क) हाइपोस्टेटिक निमोनिया, (ख) गर्दन की हड्डी का टूटना (ग) घर से सीढ़ी से गिरना।

मातृ—मृत्यु:— गर्भावस्था और प्रसव सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर हेतु आश्वस्त हो लें। यह सूचना गर्भधारण करने योग्य आयु की सभी स्त्रियों के लिए आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई सम्बन्ध न रहा हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्व:— यदि कोई अधिक विशिष्ट कारण ज्ञात हो तो वृद्धावस्था (या वृद्धत्व) को मृत्यु का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। यदि मृत्यु के कारण के रूप में वृद्धावस्था का योगदान हो तो उसका उल्लेख भाग II में किया जाना चाहिए।

उदाहरणः- (क) पुराना ब्रोंकाइटिस (खांसी), II - वृद्धावस्था।

सूचना की पूर्णता:— रोगी का पूर्ण विवरण (case history) की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि जानकारी उपलब्ध है, तो यथेष्ट कारणों को उचित रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

उदाहरण— रक्तक्षीणता—यदि ज्ञात हो तो, रक्तक्षीणता का प्रकार बताइए। यदि ज्ञात हो, नवद्रव्य (Neoplasm)- सूचित करें कि शुरूआत है या असाध्य है और जब भी संभव हो, प्राथमिक नवद्रव्य के स्थान के साथ साइट का पता लगाएं, हृदय रोग— स्थिति का विशेष रूप से वर्णन कीजिए, यदि रक्ताधिक्य हृदय गित रूकना (congestive heart failure), फेफड़े का पुराना रोग (chronic on pulmonale) आदि का उल्लेख है, तो पूर्ववर्ती दशाओं का वर्णन कीजिए। टिटनेस— पूर्ववर्ती चोट का वर्णन कीजिए, यदि ज्ञात हो। शल्य क्रिया (ऑपरेशन)—वह स्थिति का वर्णन कीजिए, जिसके कारण शल्य क्रिया किया गया है। अतिसार (पेचिश)—विनिर्दिष्ट

कीजिए कि वह अमाशा (बेसीलियरी) है या अमीबी आदि, यदि ज्ञात हो। **गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएँ** — जटिलता का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। **यक्ष्मा (टी.बी.)**— प्रभावित अंगों का नाम दीजिए।

लाक्षणिक कथनः— ऐउन, अतिसार (दस्ते की बीमारी), ज्वर, एसाइटीस, पीलिया, दुर्बलता आदि ऐसे लक्षण हैं जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकते हैं। कभी—कभी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता है, किन्तु यदि सम्भव हो, तो उस रोग का नाम दीजिए जिससे वह लक्षण उत्पन्न हुआ है।

जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 10(3) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत् मृत्यु के संबंध में जानकारी देने के लिए आवश्यक व्यक्ति को मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।



प्रपत्र- **5** Form-5

State Govt. Emblem

सं. **No.** 

.....सरकार GOVERNMENT OF .....

.....विभाग /..(प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीयनिकाय का नाम)....... DEPARTMENT OF ....../. (Name of local body issuing certificate).



# जन्म प्रमाण-पत्र BIRTH CERTIFICATE

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में	संशोधित) की धारा 12/17 तथा(राज्य
का नाम) राज्या राजिस्ट्रीकरण (	संशोधन) नियम, (संशोधित नियम को अधिसूचित किए जाने
का <b>वर्ष</b> ) के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी कि	या गया)
(Issued under Section 12 / 17 of the Registration	on of Births and Deaths Act, 1969 (amended in (Name of State)
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म वं	े मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
उप जिला जिला जिला	
	peen taken from the original record of birth which is ofof State/Union territory
नाम/Name:	
ਲਿਂग/Sex	
 जन्म तिथि /Date of Birth	
जन्म स्थान /Place of birth	
माता का नाम/Name of Mother	
, माता का आधार नं० /Aadhaar No. of Mother: पिता का नाम/Name of Father	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
पिता का आधार नं०/Aadhaar No. of Father:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/	माता पिता का स्थायी पता
Address of parents at the time of birth of the child :	Permanent address of parents:
पंजीकरण संख्या∕Registration № :	पंजीकरण दिनाँक/Date of Registration
टिप्पणी/Remarks(if any)	
जारी करने की तिथि/Dale of issue:	
प्राधिव	नारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority

गधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority मोहर/**Seal** 

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/ Ensure registration of every birth and death



प्रपत्र-6

Form-6

State Govt. Emblem

सं. **No.** 

.....सरकार GOVERNMENT OF .....

.....विभाग /..(प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीयनिकाय का नाम)....... DEPARTMENT OF ............../. (Name of local body issuing certificate).



# मृत्यु प्रमाण-पत्र DEATH CERTIFICATE

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में	संशोधित) की धारा 12 / 17 तथा(राज्य
का नाम), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (स	!शोधन) नियम, . (संशोधित नियम को अधिसचित किए जाने
का <b>वर्ष</b> ) के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किय	
Issued under Section 12 / 17 of the Registratio	
2023) and Rule 8 / 13 of the	. (Name of State) Registration of
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के	मल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
उप जिला जिला	राज्य के रिजस्टर में
उप जिलाजिला उल्लिखित है।	101001
This is to certify that the following information has be strive to the register for (local area/local body)	
of Districtof State/Unio	on territory
नाम /Name:	-
नतक का आधार नंo/Aadhaar No. of deceased:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
लेंग / Sex	
नृत्यु की तिथि / Date of Death	
मृत्यु का स्थान/Place of Death	
नाता का नाम / Name of Mother	
नाता का आधार नंo/Aadhaar No. of Mother:	
पेता का नाम /Name of Father	
पेता का आधार नंo/Aadhaar No. of Father:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
नि ∕ पत्नी का नाम ⁄ Name of Husband / Wife	
पति / पत्नी का आधार नं० / Aadhaar No. of Husband / Wife:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
नृतक का मृत्यु के समय का पता $ar{}$	मृतक का स्थायी पता/
Address of the deceased at the time of death:	Permanent address of the deceased:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····
पंजीकरण संख्या∕Registration № :	पंजीकरण दिनाँक/Date of Registration
टेप्पणी/Remarks(if any)	
जारी करने की तिथि/Date of issue:	
प्राधिक	गरी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority

प्राधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority मोहर/**Seal** 

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/ Ensure registration of every birth and death

प्ररूप सं० 7 (नियम 12 देखें) जन्म रजिस्टर विधिक सूचनाएँ इस भाग को जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा

सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा 1. जन्म की तारीख:-
2. लिंग ("पुरूप" या "महिला" या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" लिखें):—
3. शिशु का विवरणी:— (यदि नामकरण नहीं किया गया हो, तो खाली छोड़ दें)
(क) नाम (यदि कोई हो):-
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
(क) नाम :-
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
(ग) मोबाईल संख्या : (घ) ईमेल आई० डी०:
(a) इसले आइ० डा०.   5. माता की विवरणी:—
(क) नाम :-
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
(ग) मोबाईल संख्या : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
6. बच्चे के जन्म के समय माता—पिता का पता:— मकान संख्या— मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर की दशा में और
यदि उपलब्ध हो) –
7. माता—पिता का स्थायी पता:— मकान संख्या— मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध
हो)— शहर / गाँव— उप—जिला— जिला— राज्य / सं०रा०क्षे० — पिन कोड— ——————————————————————————————————
8. जन्म का स्थान:— (नीचे दिये गए उपयुक्त प्रविध्टि 1 या 2 या 3 चिन्हित करें एवं "अस्पताल/संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य
स्थान", का पता, जहाँ जन्म हुआ है, लिखें)।
1. अस्पताल / संस्थान- नाम:-
2. घर 3. अन्य स्थान पता:— मकान संख्या— मीहल्ला—   वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो) — शहर / गाँव— उप—जिला—
जिला— राज्य / सं०रा०क्षे० — पिन कोड—
(क) नाम :-
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
(ग) मोबाईल संख्या : [1] [2] [3] [4] [4] [4] [5] [4] [5] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6
शहर / गाँव - उप-जिला जिला-
राज्य ∕ सं०रा०क्षे० —
1969 (२०२३ में संशोधित) की धारा २३ के तहत दण्ड / जुर्माने से अवगत हूँ। इसके अलावा, मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण पहचान के लिए
आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता हूँ। (1 से 22 सभी कॉलम पूरा करने के बाद. सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेंगे)
ितिथिः
सूचनादाता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
रजिस्ट्रीकरण संख्या:-
रजिस्ट्रीकरण तिथि:-   -   -
रिजस्ट्रीकरण इकाई:   शहर / गाँव:
शहर / गाव.—   उप–जिला:–
जिला:–
अभियुक्ति (यदि हो):
रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

#### प्ररूप सं० 8 (नियम 12 देखें) मृत्यु रजिस्टर विधिक सूचनाएँ इस भाग को मृत्यु रजिस्टर में जोड़ा जायेगा

			2(1	ना का कृत्यु राजरवर व जावा जाव ।।
				सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा
1.	मृत्यु	की तारीख:-		
2.	मृतक	का विवरणी:-		
	(क)	नाम :-		
	. ,		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	. ,	आधार संख्या (यदि		
	(ग)	जन्म तिथि (यदि उ	ग्लब्ध हो) :	
		आयु :-		
			या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" लिखें	f) :-
4.		की विवरणी:—		
	(क)	नाम :		
	(ख)	आधार संख्या (यदि	उपलब्ध हो) :	
	(ग)	मोबाईल संख्या :		
	(ঘ)	ईमेल आई० डी०:		
5.	पिता	का विवरणी:-		
	(क)	नाम :		
	(ख)	आधार संख्या (यदि	उपलब्ध हो) :	
	(ग)	मोबाईल संख्या :		
	(ঘ)	ईमेल आई० डी०:		
6.	जीवन	ासाथी (पति / पत्नी	) का विवरणी:–	
	(ক)	नाम :		
	(ख)	आधार संख्या (यदि	उपलब्ध हो) :	
		जन्म तिथि (यदि उ		
	(घ)	आयु (पूर्ण वर्षों मे	i):-	
	(ङ)	मोबाईल संख्या :		
	. ,	ईमेल आई० डी०:		
7.			<b>ा पता</b> :- मकान संख्या-	मोहल्ला– वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)–
	श	हर / गाँव— 🖁	उप–जिला–	जिला- राज्य / सं०रा०क्षे० -
	पि	न कोड–		
8.	मृतक	का स्थायी पता:-	मकान संख्या–	मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)—
		हर / गाँव—		उप–जिला– जिला–
		ज्य / सं०रा०क्षे० –		पिन कोड–
9.	मृत्यु	का स्थान:- (नीचे	दिये गए उपयुक्त प्रविष्टि 1	या २ या ३ चिन्हित करें एवं "अस्पताल/संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य
ì	स्थान"	का पता, जहाँ मृत्यु	हुआ है, लिखें)।	
		1. अस्पताल / संब	थान–	नाम:-
		2. घर	3. अन्य स्थान	<b>पताः</b> — मकान संख्या— मोहल्ला—
			र की दशा में और यदि उपलब	
		जिला— —————————	राज्य / सं०रा०क्षे० –	- पिन कोड-
10		नादाता का विवरर्ण	: 	
	(क)	नाम :		
	(ख)	आधार संख्या (अगर	: उपलब्ध हो) :	
	(ग)	मोबाईल संख्या :		
	(ঘ)	ईमेल आई० डी०:		
	(ভ)	पता:- मकान संख	या- मोहल्ला-	वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)–
		शहर / गाँव—	उप–जिला	— जिला– राज्य / सं०रा०क्षे० <i>—</i>
		पिन कोड–		
घ	षणा	— मेरी जानकारी	एवं विश्वास के अनुसार दी	गयी सूचना सही है। मैं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण
आ	धेनियग	न, 1969 (2023 में	संशोधित) की घारा 23 के	तहत दण्ड/जुर्माने से अवगत हूँ। इसके अलावा, मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से
				इसडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता हूँ।
				धार का विवरण उपलब्ध नहीं है।
(1	स 21 र तिथिः		बाद, सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि	आकत कर्ग)
	IIII)			सूचनादाता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान
				<u> </u>
-f	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-m ricar.		रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
		जरण संख्याः-		
		ज्रण तिथि:– <u> </u>		
	जस्ट्राव इर / गें	रुण इकाई:— <sup>ॉव:</sup> —		
√।≀	२५/ ग ा–जिल्	<sub>। भ</sub> . = ग:—		
	ा-।जल ला:-	110		
		ा (यदि हो):		
	٠.٠٠			रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
_				

प्ररूप सं० 9 (नियम 12 देखें) मृत—जन्म रजिस्टर विधिक सूचनाएँ इस भाग को मृत—जन्म रजिस्टर में जोड़ा जायेगा

सूचनादाता द्वारा भरा जायेगा
1. जन्म की तारीखः
2. लिंग ("पुरूष" या "महिला" या "ट्रांसजेन्डर व्यक्ति" लिखें) :- 3. पिता का विवरणी:-
(क) नाम :-
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) : (ग) मोबाईल संख्या : (घ) ईमेल आई० डी०: 3. माता की विवरणी:— (क) नाम :—
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) : (ग) मोबाईल संख्या : (घ) ईमेल आई० डी०:
5. <b>जन्म का स्थान</b> :— (नीचे दिये गए उपयुक्त प्रविष्टि 1 या 2 या 3 चिन्हित करें एवं "अस्पताल/ संस्थान" का नाम और पता या "घर" या "अन्य स्थान", का पता, जहाँ जन्म हुआ है, लिखें)।
1. अस्पताल / संस्थान—
2. घर 3. अन्य स्थान <b>पताः</b> — मकान संख्या— मोहल्ला—
वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— उप—जिला— जिला— राज्य / सं०रा०क्षे० — पिन कोड—
6. सूचनादाता का विवरणी:-
(क) नाम :
(ख) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) : (ग) मोबाईल संख्या : (घ) ईमेल आई० डी०:
(ङ) <b>पता:</b> — मकान संख्या— मोहल्ला— वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो)— शहर / गाँव— उप जिला— जिला— राज्य / सं०रा०क्षे० — पिन कोड—
घोषणा— मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गयी सूचना सही है। मैं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 23 के तहत दण्ड/जुर्माने से अवगत हूँ। इसके अलावा, मैं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रमाणीकरण पहचान के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत भी सहमति देता हूँ।
(1 से 12 सभी कॉलम पूरा करने के बाद, सूचनादाता हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेंगे)
तिथि:
रजिस्ट्रार द्वारा भरा जायेगा
रजिस्ट्रीकरण संख्याः— रजिस्ट्रीकरण तिथिः—
रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर

# प्ररूप सं० 10 (नियम 13 देखें)

# अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र

[जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 17 के अधीन निर्गत]

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	ा / कुमारी
सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री	के अनुरोध पर बिहार राज्य के
जिले केप्रखंड/अंचल के	र संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों—वर्ष (वर्षों)मं
तलाशी ली गई और पाया गया कि	सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री
श्री	के जन्म / मृत्यु से संबंधित घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं
किया गया था।	
	निर्गत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर
तिथिः – –	

# प्ररूप सं० 11 (नियम 14 देखें) जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1.	माह — का प्रतिवेदन	
2.	जिला–	
3.	शहर / गाँव—	
4.	रजिस्ट्रीकरण इकाई–	
5.	माह के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म की संख्या :	
	पुरूष महिला ट्रांसजेन्डर व्यक्ति कुल*	
	(1) (2) (3) (1+2+3)	
6.	जन्म रजिस्ट्रीकरण में समय अन्तराल:—	
	(क) उनके घटित होने के समय सीमा (21 दिन) के भीतर :	
	(ख) 21 दिन से अधिक परन्तु उनके घटित होने के 30 दिन के भीतर :-	
	(ग) 30 दिन से अधिक परन्तु उनके घटित होने के 01 वर्ष के भीतर :	
	(घ) उनके घटित होने के 01 वर्ष के बाद :	
	कुल* (क+ख+ग+घ) :	
	मासिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कुल संख्या, रजिस्ट्रीकृत जन्म रिपोर्ट प्ररूप (प्ररूप संख्या सांख्यिकीय भाग की संख्या के बराबर होना चाहिए।	−1) के
	रजिस्ट्रार का नाम व	हस्ताक्षर
तिर्वि	1थिः	
	मुख्य रजिस्ट्रार / जिला रजिस्ट्रार को समर्पित	

# प्ररूप सं० 12 (नियम 14 देखें) मृत्यु का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1.	माह —		वर्ष—			ō	मा प्रतिवे	दन	
2.	जिला–								
3.	शहर / गाँव–								
4.	रजिस्ट्रीकरण इकाई–								
5.	माह के दौरान रजिस्ट्रीकृत मृत	त्यु की संख्य	ग :-						
	मृत्यु (जिसमें शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु एवं मातृ मृत्यु शामिल है)	(आयु	शिशु मृत्यु एक वर्ष से	,		एक वर्ष पाँच व	ल मृत्यु र्ग अधिव र्षि से कम्)	)	मातृ मृत्यु
	पुरूष महिला ट्रांसजेन्डर कुल* व्यक्ति	पुरूष महिल	्र ट्रांसजेन्डर व्यक्ति	कुल	पुरूष	महिला	ट्रांसजेन्डर व्यक्ति	कुल	
	<ul> <li>(क) उनके घटित होने व</li> <li>(ख) 21 दिन से अधिक</li> <li>(ग) 30 दिन से अधिक प</li> <li>(घ) उनके घटित होने के</li> <li>कुल* (क+ख+ग+घ) :</li> </ul>	परन्तु उनके परन्तु उनके	घटित हो घटित हो	ं ाने के 30	) दिन	के भीत			
	नोट:– शिशु और बाल मृ	नृत्यु तथा म	तृ मृत्यु क	गे भी मृत	यु में १	गामिल	किया ज	ाना चाहि	हेए।
*	मासिक रिपोर्ट के साथ स् सांख्यिकीय भाग की संख्या वे	•			ृत मृत	यु रिप	ोर्ट प्ररूप	(प्ररूप	संख्या—2) के
ति	થિ:	_					रजिस्द्र	रार का	नाम व हस्ताक्षर
	मुख्य रजिस्ट्रार/जिला र	रजिस्ट्रार के	ा समर्पित						

# प्ररूप सं० 13 (नियम 14 देखें) मृत—जन्म का मासिक सारांश प्रतिवेदन

1.	माह—	वर्ष—	का	प्रतिवेदन
2.	जिला–			
3.	शहर / गाँव—			
4.	रजिस्ट्रीकरण इकाई–			
5.	माह के दौरान रजिस्ट्री	कृत मृत—जन्म की संख्या :	<del>-</del>	
	पुरूष (1)	महिला (2)	ट्रांसजेन्डर व्यक्ति (3)	कुल* (1+2+3)
6.	जन्म रजिस्ट्रीकरण में	समय अन्तरालः–		
	(क) उनके घटित	होने के समय सीमा (21 र्व	देन) के भीतर :	
	(ख) 21 दिन से	अधिक परन्तु उनके घटित	होने के 30 दिन के भीतर	:
	(ग) 30 दिन से 🤅	अधिक परन्तु उनके घटित ह	होने के 01 वर्ष के भीतर :-	-
	(घ) उनके घटित	होने के 01 वर्ष के बाद :-	-	
	कुल* (क+ख+ग+	-घ) :		
*		ग्न संलग्न कुल संख्या, रजिर संख्या के बराबर होना चाहि।	• •	रूप (प्ररूप संख्या—3) के
			-	रजिस्ट्रार का नाम व हस्ताक्षर
ति	थिः			
	मख्य रजिस्टार /	जिला रजिस्टार को समर्पित	Ī	

# प्ररूप सं० 14

(नियम ९ देखें)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की घारा 13 (2) के तहत् जन्म/मृत्यु की विलम्बित रिपोर्टिंग के लिए स्व—अभिप्रमाणित दस्तावेज का प्ररूप

## घोषणा

में	पुत्र /	पुत्री / पत्नी–
निवासी—		
		यह घोषणा करता हूँ कि :
1. 単	(बच्चे / मृतक व	ग नाम ) पिता / पति / पत्नी—
	जन्म / मृत्यु की विलम्बित घटना	ओं का सूचक हूँ।
2. उसके / उसकी ज	न्म / मृत्यु की तिथि	स्थान
	पर हुई है।	
3. उसके / उसकी ज	न्म / मृत्यु के समय उपस्थित	थे, जो
		(पता) के निवासी हैं।
4. उसके / उसकी ज	न्म / मृत्यु की सूचना देने में विलम्ब हो	ने का कारण निम्नवत है—
5. उसके/उसकी ज	न्म / मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का र	उद्देश्य निम्नवत है—
सूचना किसी भी रजिर	ोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त जा म्ट्रार को नहीं दी गयी है। मेरी सर्वोत्तम ग–पत्र निर्गत नहीं किया गया है।	नकारी सत्य है और मेरे द्वारा उपरोक्त घटना की न जानकारी और विश्वास के अनुसार इस संबंध में
		सूचनादाता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान
	तिथि:	

नोटः-

- 1. तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख शब्दों में लिखी हो उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हजार तेईस लिखा जाएगा। तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने के लिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप में अंकों का प्रयोग करें।
- 2. नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररुप (Format) में दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिखा जाना चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किसी एक में कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।
- 3. पता, जहाँ कहीं वह आता है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जिला, उप–जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ला, मकान संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।

#### प्ररूप सं० 15

(नियम 16क देखें)

#### अपील के लिए प्ररूप

(जिला रजिस्ट्रार/मुख्य रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना है)

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 25क के तहत्)

1. किसी कार्रवाई या आदेश से व्यथित:— रिजस्ट्रार / जिला रिजस्ट्रार अथवा रिजस्ट्रार / जिला रिजस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी (कार्यालय का विवरण नीचे दिया जाना है) :—

राज्य	जिला	उप–जिला	शहर / गाँव	मोहल्ला	रजिस्ट्रीकरण इकाई आई०डी०	रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम

2.	2. अपील की प्रमुख घटना का विवरण तिथि, आदेश संख्या इत्यादि:—								
	(घटना की विस्तृत विवरण दें, यदि आवश्यक हो, तो अनुलग्नक सहित संलग्न करें)								
	<b></b> -								
	<b>ोषणाः</b> — मेरे द्वारा सभी स्	नूचना अपने पूर्ण	जानकारी और वि	श्वास के अनुस	ार सही प्रदान किय	ग्रा गया है।			
	अपीलकर्त्ता का हस्ताक्षर								
					अ	पीलकर्त्ता का हस्त	ाक्षर		
			ति	थि:- [	-	पीलकर्त्ता का हस्त	ाक्षर 		
	अपीलकर्त्ता की	विवरणी :	ति	थि:- [	3 <del>1</del>	पीलकर्त्ता का हस्त  -	ाक्षर 		
	अपीलकर्त्ता की नाम	विवरणी :– पता	आधार संख्या	थि:- [	अ     -     ई-मेल आई०डी०	पीलकर्त्ता का हस्त  -    मोबाइल संख्या	ाक्षर		
				थि:- [	<u>   -    </u> ई—मेल	मोबाइल	ाक्षर 		

#### चोट∙\_

- 1. कृपया इस प्ररूप की एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए अपने पास रखें।
- 2. अपील, यदि कोई हो, ऐसी कार्रवाई या ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से, जिससे वह व्यक्ति व्यथित है, 30 दिनों की अवधि के भीतर जिला रजिस्ट्रार / मुख्य रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 3. तारीख, जब कभी वह आती है, को दिन—माह—वर्ष के प्ररूप में दी जायेगी, जिसमें दिन को दो अंकों में, माह को दो अंकों में और वर्ष को चार अंकों में दिया जायेगा। जहाँ भी तारीख शब्दों में लिखी हो उसे पूरा लिखा जाना चाहिए जैसे—01—01—2023 को पहली जनवरी दो हजार तेईस लिखा जाएगा। तिथि एवं अन्य संख्यात्मक प्रविष्टियों के रिकार्ड करने केलिए 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 के रूप में अंकों का प्रयोग करें।
- 4. नाम, जब कभी वह आता है, को (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अन्तिम नाम) के प्ररुप (Format) में दिया जायेगा, जहाँ पूरा नाम बड़े अक्षर (Capital Letter) में लिखा जाना चाहिए तथा पहला नाम अनिवार्य है। प्रथम नाम या मध्य नाम या अंतिम नाम में से किसी एक में कम से कम दो अक्षर होने चाहिए।
- पता, जहाँ कहीं वह आता है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम, जिला, उप–जिला, शहर या गाँव, वार्ड संख्या (शहर की दशा
  में और यदि उपलब्ध हो), मोहल्ला, मकान संख्या और पिन कोड अंतर्विष्ट (Contain) होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से.

प्रधान सचिव।

# Department of Planning & Development (Directorate of Economics & Statistics)

#### **Notification**

The 16th June 2025

#### Bihar Registration of Births & Deaths (Amendment) Rules, 2025

No. ji.sa.- 05/2024-826—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) the State Government of Bihar with the approval of the Central Government, hereby frames the following rules to amend the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely:-

- 1. Short title, extent and commencements.—
  - (1) These rules may be called the Bihar Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2025.
  - (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
  - (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999 in rule 5, after subrule (3), the following subrules shall be inserted, namely:-
  - (4) Name, wherever it occurs, in Forms referred to in Bihar Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2025, shall be provided in the format of (first name) (middle name) (last name) and the name shall not contain any abbreviations.
  - (5) Date, wherever it occurs, in Forms referred to in Bihar Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2025, shall be provided in the format of dd-mm-yyyy, where dd is the date in two digits, mm is the month in two digits and yyyy is the year in four digits.
  - (6) The address, wherever it occurs, in Forms referred to in Bihar Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2025, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.
- 3. In rule 7 of the principal rules, in the marginal heading and rule, the following shall be substituted, namely:-

#### Rule 7. Form of certificate under sub-sections (2) and (3) of section 10:-

The certificate as to the cause of death, including the history of illness, if any, required under sub-sections (2) and (3) of section 10 shall be issued in Form No. 4 and 4A respectively and the Registrar shall, after making necessary entries in the register of deaths, forward all such certificates to the Chief Registrar or the officer specified by him in this behalf by the 10<sup>th</sup> of the month immediately following the month to which the certificates relate.

- 4. In rule 8 of the principal rules, in the marginal heading and the sub-rules (1), (2), (3), (4) & (5), the following shall be substituted, namely:-
  - Rule 8. Certificate of Registration of Births or Deaths to be given under section 12-
    - (1) The certificate of birth or death extracted from the register relating to births or deaths to be given to an informant, electronically or otherwise, under section 12 shall be in Form No. 5 or Form No. 6, as the case may be.
    - (2) In the case of domiciliary events of births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (a), (aa), (ab) and (ac) of sub-section (1) of section 8 which are reported direct to the Registrar of Births and Deaths, the head of the house or household, as the case may be, or, in his absence, the nearest

- relative of the head present in the house, or, in his absence, the oldest adult person present, the adoptive parents, the parent, and the biological parent, as the case may be, may obtain electronically or otherwise the certificate of birth or death from the Registrar within 30 (thirty) days of its reporting.
- (3) In the case of domiciliary events of births and deaths referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 8 which are reported by persons specified by the State Government under sub-section (2) of the said section, the person so specified shall transmit, electronically or otherwise, the certificate received from the Registrar of Births and Deaths to the concerned head of the house or household as the case may be, or, in his absence, the nearest relative of the head present in the house or, in his absence, the oldest adult person present, within 30 (thirty) days of its issue by the Registrar.
- (4) In the case of institutional events of births and deaths, as the case may be, referred to in clauses (b) to (e) and (da), (db) and (dc) of subsection (1) of section 8, the nearest relative of the new born or deceased may obtain electronically or otherwise the certificate from the officer or person in charge of the institution concerned within 30 (thirty) days of the occurrence of the event of birth or death.
- (5) If the certificate of birth or death is not collected by the concerned person as referred to in sub-rules (2) to (4) within the period stipulated therein, the Registrar or the officer or person in charge of the concerned institution as referred to in sub-rule (4) shall transmit the same to the concerned family by post within 15 (fifteen) days of the expiry of the aforesaid period.
- 5. In rule 9 of the principal rules, for sub-rules (1) (2) & (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
  - (1) Any birth or death of which information is given to the Registrar after the expiry of the period specified in rule 5, but within thirty days of its occurrence, shall be registered on payment of a late fee of ₹20.00 (Twenty rupees).
  - (2) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after thirty days but within one year of its occurrence, shall be registered only with the written permission of the District Registrar or the District Statistical Officer and on payment of a late fee of ₹50.00 (Fifty rupees) and on production of self-attested document, electronically or otherwise, in Form No.14.
  - (3) Any birth or death of which delayed information is given to the Registrar after one year of its occurrence, shall be registered only on an Order made by a District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate or by an Executive Magistrate authorized by the District Magistrate, having Jurisdiction over the area where the birth or death has taken place, after verifying the correctness of the birth or death and on payment of a late fee of ₹100.00 (One hundred rupees).
- 6. In rule 12 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:

  The legal part of the Forms No. 1, 1A, 2 and 3 shall constitute the Birth register,

  Death register and Still-birth register (Forms No. 7, 8 and 9) respectively.
- 7. In rule 13 of the principal rules, for sub-rules (1), (2) & (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
  - (1) The fees payable for a search to be made, a certificate of birth or death or a non-availability certificate to be issued under section 17, electronically or otherwise, shall be as follows:-

		Rupees.
(a)	Search for a single entry in the first year for which	₹20.00
	the search is made	
(b)	For every additional year for which the search is	₹20.00
	continued	
(c)	For granting certificate relating to each birth or death	₹50.00
(d)	For granting non-availability certificate of birth or	₹20.00
	death	

- (2) Any such certificate on the basis of extract from the register relating to birth or death shall be issued under section 17, by the Registrar or the officer authorized by the State Govt. in this behalf in Form No. 5 or, as the case may be, in Form No. 6 and shall be certified in the manner provided for in section 75 of the Bharatiya Sakshya adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
- (4) Any such certificate or non-availability certificate may be furnished to the person asking for it or sent to him by post on payment of the postal charges therefore.
- 8. In rule 16 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
  - (2) Any such offence may be compounded on payment of such sum, not exceeding ₹250.00 (Two hundred and fifty rupees) for offences under sub-sections (1), (2) and (4), ₹50.00 (Fifty rupees) for offences under sub-section (3), and ₹1000.00 (One thousand rupees) in respect of each birth or death for offences under sub-sections (1A) and (4A) of section 23, as the said officer may think fit.
- 9. After rule 16 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:- 16A. Appeal.- An appeal under sub-section (1) of section 25A shall be preferred in Form No. 15.
- 10. In rule 17 of the principal rules, for sub-rules (2) & (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
  - (2) The permission granted under sub-section (2) of section 13 and the orders issued under sub-section (3) of section 13 for delayed registration received by the Registrar shall form an integral part of the Birth register, Death register and Still-birth register and shall not be destroyed.
  - (3) The certificate as to the cause of death furnished under sub-sections (2) and (3) of the section 10 shall be retained for a period of at least 5 years by the Chief Registrar or the officer specified by him in this behalf.

In the principal rule, for the forms 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, the attached forms shall be substituted.

By order of the Governor of Bihar, K. Senthil Kumar, Principal Secretary.

# "FORM NO.1 (See rule 5) BIRTH REPORT Legal information [SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS] This part to be added to the Birth Register

# FORM NO.1 (See rule 5) BIRTH REPORT Statistical information [SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS] This part to be detached and sent for statistical processing

	To be filled by the informant		T	To be filled by the informant
1.	Date of Birth:		10.	Town or Village of Residence of the mother (Place
2.	Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person") :			where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery occurred. Tick
3.	Child's Details (if not named, leave blank) :-			appropriate entry "Town" or "Village" and write its
(a)	Name, If any : First Name   Middle Name   Last Name			name): Town or Village: Sub-district:
(b) 4.	Aadhaar No. (If available):			District: State or Union Territory: PIN Code:
(a)	Father's Details:- Name: First Name Middle Name Last Name		11.	For Religion [Enter appropriate religion "Hindu" or
(b)	Aadhaar No. (If available):			Muslim" or "Christian" or "Sikh" or "Buddhist" or "Jain" or "Other (Please specify)"]
(c)	Mobile No:		(a)	Religion of Father:
	Email Id:		(b)	Religion of Mother:
5. (a)	Mother's Details:-	g	12.	
(b)	Name: First Name Middle Name Last Name  Aadhaar No. (If available):	8	13.	Father's level of education: Mother's level of education:
(c)	Mobile No:	8	10.	mother a level of education.
(d)	Email Id:	i i	14.	Father's Occupation:
6.	Address of parents at the time of Birth of the Child: House No:	stic	15.	Mother's Occupation:
-	Locality: Ward number (in case of town and if available):	stat		
	Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code:	sent for statistical processing	16.	Age of the mother (in completed years) at the time of marriage (if married more than once, age at first
١,	Permanent address of parents: House No:	ent		marriage is to be written):
7.	Locality: Ward number (in case of town and if available):	ands	17.	Age of the mother (in completed years) at the time
	Town or Village: Sub-district: District:	Ta ar	12963	of this birth :
١.	State or Union Territory: PIN Code:	detached	18.	Number of children born alive to the mother so far
8.	Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or "Other place" where the birth took	eta		Including this child (Number of children born alive to include also those from earlier marriage(s), if any):
	place):	9	333	
	1.Hospital / Institution Name :	To be	19.	Type of attention at delivery (Tick the appropriate entry below):
	House 3. Other place Address: House No:     Locality: Ward number (In case of town and if available):	1 7		Institutional-Government
	Town or Village: Sub-district: District:			<ol> <li>Institutional – Private or Non-Government</li> </ol>
	State or Union Territory: PIN Code:			Doctor, Nurse or Trained Midwife     Traditional Birth Attendant
9.	Informant's Details:	İ		<ol><li>Relatives or others</li></ol>
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name		20.	Method of Delivery (Tick the appropriate entry below):
(b)	Aadhaar No. (if available):	1		Natural     Caesarean
(d)	Mobile No: Email Id:			Forceps/Vacuum
(e)	Address : House No:		21.	Birth Weight (in kgs.) (if available) :
	Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district: District:			
	Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code:		22.	Duration of pregnancy (in weeks):
	ARATION:			
	ive furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting			
false	information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other			9.71m
	dles, benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar ntication.	1		(in the case of multiple births, fill in a separate form
(After	completing all columns 1 to 22,			for each child and write 'Twin birth' or 'Triple birth' etc., as the case may be, in the remarks column in
	ant will put date and signature)			the box below left.)
Date	: DD - MM - YYYY Signature or		(Column	s to be filled are over. Now put signature at left)
	left thumb mark of the Informant		A-000000 (A-000)	nu province record distriction from the control or against 1970 to To Service Product part for
	To be filled by the Registrar	I		To be filled by the Registrar
	tention No.			Name Code No.
700.7-0	tration No. :			strict
	tration Unit:			b-District
	/Village:	-		wn/Village :
100000	Nstrict:			istration Unit :
Distric				stration No. :
Rema	rks ( if any):		1	e of Birth:
				: Male / Female / Transgender person
			57.5375.5	e of Birth: 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other
			place	
	Name and Signature of the Registrar			Name and Cleaning of the East
	rame and organize or the regional		1	Name and Signature of the Registrar

## Instructions for completing the Form 1: BIRTH REPORT

Item No.	Instructions									
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two d is month in two digits and yyyy is year in four digits. Wherever the date is written in words be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty the only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical e									
2	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.									
3,4,5,9	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If child is not named, leave blank.  Birth can be registered without name of the child. However, name of child can be inserted, free of charge, within 12 months of registration (Refer Rule 10 of State Rules).									
6,7,8,9	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.									
8	Tick the appropriate entry for place of birth  1. Hospital / Institution  2. House  3. Other place  Give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the birth took place.									
10	Town or Village of residence of the mother: Place where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery occurred. The house address is not required to be entered.									
12,13	Level of Educ	cation - Write	one of following-	2	2					
	1.Pre- Primary	6.Class 5	11.Class 10	16. Bachelor / Undergraduate	21. Literate without formal education					
	2.Class 1	7.Class 6	12.Class 11	17. PG Diploma	22. Illiterate					
	3.Class 2	8.Class 7	13.Class 12	18. Master / Post graduate						
	4.Class 3	9.Class 8	14.ITI	19. M.Phil						
	5.Class 4	10.Class 9	15.Diploma / Certificate	20. Doctorate & above						
	(Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class vII)									
14, 15	Occupation - Write one of following—  1. Cultivator 2. Agriculture Labourer 3. Daily Wages Earner(Other than Agriculture Labourer) 4. Single/Family Worker/Self Employed 5. Employer 6. Government Employee 7. Private Employee(Other than Domestic Helper) 8. Domestic Helper 9. Non-Worker									

Note: The informant must ensure that no item in the Birth Report Form is left blank to the extent possible.

FORM NO.1A ( Legal Information) (See rule 5) BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD (SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS) This part to be added to the Birth Reputser	FORM NO.1A Statistical Information (See rule 5) BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD (SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS) This part to be detached and sent for statistical processing			
The part to be added to the Brith Register  To be filled by the informant  2* Sax (Enter Make' or "Female' or "Transgender person"):  3. Child's defalls (if name is changed on adoption, write new name):  (a) Name of the Child	This part to be detached and sent for statistical processing  To be filled by the informant  14. For Religion [Enter appropriate religion "Hindu" or Muslim" or "Christian" or "Sikh" or "Buddhist" or "Jain" or "Other (Please specify)"]  (a) Religion of Adoptive Father:  (b) Religion of Adoptive Mother:  Adoptive Father's level of education:  Adoptive Mother's level of education:  Adoptive Father's Occupation:  Adoptive Mother's Occupation:  Adoptive Mother's Occupation:			
To be filled by the Registrar	To be filled by the Registrar			
Registration No. :  Registration Date: Registration Unit :  Town / Village: District: Remarks ( if any):	District   Name   Code No.			
	Sex: Male / Female / Transgender person Place of Birth: 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other place			

## Instructions for completing the Form 1A: BIRTH REPORT FOR ADOPTED CHILD

Item No.	Instructions									
1, 6  Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in t digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is writter words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousat twenty three.  If date of birth is unknown, record the date of birth as reflected in adoption order or deed, the case may be.  Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and ott numerical entries.										
2	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.									
3,4,5,7,8,13	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].									
9,10,11,12,13	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub- district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.									
15,16	Level of Education – Write one of following—									
	1.Pre- Primary	6.Class 5	11.Class 10	16. Bachelor / Undergraduate	21. Literate without formal education					
	2.Class 1	7.Class 6	12.Class 11	17. PG Diploma	22. Illiterate					
	3.Class 2	8.Class 7	13.Class 12	18. Master / Post graduate	ZZ. IIIIOIGO					
	4.Class 3	9.Class 8	14.ITI	19. M.Phil						
	5.Class 4	10.Class 9	15.Diploma / Certificate	20. Doctorate & above						
	it passed only class VI,									
17,18	Occupation - Write one of following—  1. Cultivator 2. Agriculture Labourer 3. Daily Wages Earner(Other than Agriculture Labourer) 4. Single/Family Worker/Self Employed 5. Employer 6. Government Employee 7. Private Employee(Other than Domestic Helper) 8. Domestic Helper 9. Non-Worker									

Note: The informant responsible for reporting birth event of adopted child shall be as per the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023).

The informant must ensure that no item in the form for Birth Report for Adopted Child is left blank to the extent possible.

#### FORM NO.2 (See rule 5) FORM NO.2 (See rule 5) DEATH REPORT DEATH REPORT Legal Information Statistical information SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS! (SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS) This part to be added to the Death Regist This part to be detached and sent for statistical processing To be filled by the informant To be filled by the informant Date of Death D D - M M - Y Y Y Town or village of Residence of the deceased (Place 11. where the deceased usually lived. This can be different Deceased's Details:-2. from the place where the death occurred. Tick appropriate (a) Name: entry "Town" or "Village" and write its name): Aadhaar No. (If available): (b) Town or VIIIage: Sub-district State or Union Territory: District: (C) Date of Birth (if available): (d) Age: Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"): 3. Religion (Enter appropriate religion "Hindu" or "Muslim" or 12. Mother's Details:-"Christian" or "Sikh" or "Buddhist" or "Jain" or "Other (a) First Name Name: (Please specify)"): Aadhaar No. (If avallable): (b) 13 Occupation of the deceased: (C) Mobile No: (d) Type of Medical Attention received before death (Tick 14 processing Father's Details: the appropriate entry below): (a) Name: 1. Institutional Medical attention oth No Medical attention Medical attention other than institution (b) Aadhaar No. (If available): (C) Mobile No: Was the cause of death medically certified? (Tick the 15. statistical (d) Email Id: appropriate entry below): 6. Spouse's (husband / wife) Details: 1.Yes (a) Name: First Nan 16. Name of Disease or Actual Cause of Death (For all ğ Aadhaar No.(If avallable): deaths irrespective of whether medically certified or not): (C) Date of Birth (if available): detached and sent (d) Age (In completed years): In case this is a female death, did the death occur while pregnant, at the time of delivery or within 6 weeks after the end of pregnancy (Tick the appropriate Mobile No: (0) (1) Emall Id: entry below): 7. Address of the deceased at the time of death: House No: 2. No Ward number (in case of town and if available): Locality: Town or Village: Sub-district: If used to habitually smoke – 18. for how many years? State or Union Territory: PIN Code: 8 2 8. Permanent address of the deceased: House No: If used to habitually chew tobacco in any form -19. Locality: Ward number (in case of town and if available): for how many years? Town or Village: Sub-district: District If used to habitually chew arecanut in any form (including pan masala) - for how many years? PIN Code: State or Union Territory: 20. Place of death (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the death took place): If used to habitually drink alcohol -21. 1.Hospital / Institution Name: for how many years? 2. House 3. Other place Address : House No: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code: Informant's Details:-Name: (b) Aadhaar No.(If avallable): Mobile No: (d) Email ld: Address : House No .: (e) Ward number (in case of town and if available): Locality: Sub-district: District: Town or Village: PIN Code: DECLARATION: I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, benefits and Services) Act, 2016, for authenticating Identity by way of Aadhaar authentication. To the best of my knowledge and information, the detail of Aadhaar of the deceased is not available. (After completing all columns 1 to 21. informant will put date and signature) Date: D D - M M - Y Y Y Signature or left thumb mark of the informant (Columns to be filled are over. Now put signature at left) To be filled by the Registrar To be filled by the Registrar Registration No. District D D - M M - Y Y Y Registration Date: Registration Unit: Sub-District Town/Village: Town / Village: Registration Unit: Sub-District: Registration No. : Registration Date: DD-MM-YYYY Remarks ( If any): Date of Death : D D - M M - Y Y Y Y Cause of Death (as per Form 4 / 4A): Sex: Male / Female / Transgender perso Age of deceased: Place of death: 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other place Name and Signature of the Registrar

Name and Signature of the Registrar

# Instructions for completing the Form 2: DEATH REPORT

Item No.	Instructions
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.
2,4,5,6,10	Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].
3	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.
2(d)	If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months, and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.
7,8,9,10	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub- district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.
9	For Place of death tick the appropriate entry  1. Hospital / Institution  2. House  3. Other place  Give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the death took place.
11	Town or Village of the Residence of the deceased: Place where the deceased usually lived. This can be different from the place where the death occurred. The house address is not required to be entered.
13	Occupation - Write one of following—  1. Cultivator  2. Agriculture Labourer  3. Daily Wages Earner(Other than Agriculture Labourer)  4. Single/Family Worker/Self Employed  5. Employer  6. Government Employee  7. Private Employee(Other than Domestic Helper)  8. Domestic Helper  9. Non-Worker

Note: The informant must ensure that no item in the Death Report Form is left blank to the extent possible.

# (See rule 5) STILL BIRTH REPORT

Legal information [SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS] This part to be added to the Still Birth Register

FORM NO.3

# (See rule 5) STILL BIRTH REPORT

### Statistical information

[SEE REVERSE FOR INSTRUCTIONS]
This part to be detached and sent for statistical processing

To be filled by the informant	To be filled by the informant
1. Date of Birth: DD - MM - YYYYY  2. Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):  3. Father's Details:- (a) Name: First Name Middle Name Last Name (b) Aadhaar No. (if available): Mobile No: Mobile	Town or village of Residence of the mother (Place where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery occurred. Tick appropriate entry "Town" or "Village" and write its name): Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code:
Email Id.	Age of the mother (in completed years) at the time     of this birth :
4.	9. Mother's level of education:  10. Type of attention at delivery (Tick the appropriate entry
Email id:  5. Piace of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or "Other place" where the birth took place):  1.Hospital / Institution Name:  2. House 3. Other place Address: House No. Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district: State or Union Territory: PIN Code:	Type of attention at delivery (Tick the appropriate entry below):    1.
6. Informant's Details: (a) Name: First Name Middle Name Last Name (b) Aadhaar No. (If available):	(In the case of multiple births, fill in a separate form for each child and write 'Twin birth' or 'Triple birth' etc., as the case may be, in the remarks column in the box below left.)
Informant will put date and signature)  Date: D D - M M - Y Y Y Y Signature or	(Columns to be filled are over. Now put signature at left)
left thumb mark of the informant	
To be filled by the Registrar	To be filled by the Registrar
Registration No. : Registration Date:	Name   Code No.
Name and Signature of the Registrar	Sex: Male / Female / Transgender person Place of Birth: 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other place  Name and Signature of the Registrar

# Instructions for completing the Form 3: STILL BIRTH REPORT

Item No.											
1	Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mn is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.										
2	Enter "Male" or "Female" or "Transgender Person". Do not use abbreviation.										
3,4,6	where full na	me (not abbre	viation	) to be written		and first n	middle name] [last name] ame is mandatory. There r [last name].				
5,6	Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Sub-district, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.										
5	For Place of birth tick the appropriate entry  1. Hospital / Institution  2. House  3. Other place Give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the birth took place.										
7	Town or Village of residence of the mother: Place where the mother usually lives. This can be different from the place where the delivery occurred. The house address is not required to be entered.										
9	1.Pre- Primary	ation – Write of 6.Class 5		following— lass 10	16. Bache Undergraduate	lor /	21. Literate without formal education				
	2.Class 1	7.Class 6	40.0	lass 11	47 DO Dieleses		22. Illiterate				
	3.Class 2	8.Class 7		lass 12	17. PG Diploma 18. Master / Post graduate		22. milerate				
	4.Class 3	9.Class 8	14.17	TI TI	19. M.Phil						
	5.Class 4	10.Class 9		iploma / ficate	20. Doctorate & above						
	(Enter the completed level of education e.g. if studied upto class VII but passed only class VI, write class VI)										
12.		al death – Wri			in the mother	42 Info	tion in the mother				
		(Hamorrhage)				Parvovin	us B19				
	2. Problems	with Placenta	ļ	8. Infection Coxsackie	in the mother virus	14. Infect	tion in the mother Q				
	3. Problem	with umbilical o	cord		in the mother	15. Infec	tion in the mother (German measles)				
	4. Pre-eclan	npsia		10. Infection	n in the mother		tion in the mother Flu				
	5. Genetic p	hysical defect	in	Leptospiros 11. Infection Lyme disea	n in the mother	17. Infec	tion in the mother				
	6. Liver disc (obstestric d	rder in the mo holestas)	ther	12. Infection Malaria	n in the mother	18. Not s	stated				

Note: The informant must ensure that no item in the Still Birth Report Form is left blank to the extent possible.

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH
(Hospital In-patients. Not to be used for still births)
To be sent to Registrar along with Form No. 2 (Death Report)
A copy of this certificate to be provided to the nearest relative of the deceased

	( - Y Y Y Y	at	.M. / P.M.		
NAME OF DECEASED: First Name   Middle Name   Last Name    Sex			For use of Statistical Office		
Sex					
				If less than one day, age in hours	
Female     Transgender			1 10000		
_	USE OF DEATH	43			
Immediate cause State the disea caused death, n	ot the mode of dying s	due ation which			
Morbid condition		due to the above	to (or as a consequences of)		
Other significant co		to the death			
out not related to the	disease or condition ca	60 CO T CO T			
anner of Death		Но	w did the injury occur?		
		de			
		eath associated with?	1. Yes 2. No		
yes, was there a deliv					
yes, was there a deliv					
yes, was there a deliv			Name:		ttendant certifying the cause of

### MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the form

Name of deceased: To be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If deceased is an infant, not yet named at time of death, leave blank.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certificate of cause of death is divided into two parts, I and II. Part I is again divided into three parts, lines (a) (b) (c). If a single morbid condition completely explains the deaths, then this will be written on line (a) of Part I, and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II, for example, smallpox, lobar pneumonia, cardiac beriberi, are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of morbid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certificate in the proper manner so that the correct underlying cause will be tabulated. First, enter in Part I(a) the immediate cause of death. This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not be appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication or delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written in last in Part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide, especially for infant deaths, which of several independent conditions was the primary cause of death; but only one cause can be tabulated, so the doctor must decide. If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in Part II.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of the diseases (in full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death whenever possible, even if very approximately, e.g., "from birth" "several years".

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the external cause in full when this is shown. Example: (a) Hypostatic pneumonia; (b) Fracture of neck of femur; (c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths: Be sure to answer the question on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of childbearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or senility: Old age (or senility) should not be given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was a contributory factor, it should be entered in Part II. Example: (a) Chronic bronchitis, II old age.

Completeness of information: A complete case history is not wanted, but, if the information is available, enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example: Anaemia — Give type of anaemia, if known. Neoplasm — Indicate whether benign or malignant, and site, with site of primary neoplasm, whenever possible, Heart disease — Describe the condition specifically, if congestive heart failure, chronic on pulmonale, etc., are mentioned, give the antecedent conditions. Tetamus — Describe the antecedent injury, if known. Operation — State the condition for which the operation was performed. Dysantery — Specify whether bacillary, amoebic, etc., if known. Complications of pregnancy or delivery — Describe the complication specifically, Tuberculosis — Give organs affected.

Symptomatic statement: Convulsions, diarrhea, fever, ascites, jaundice, debility, etc., are symptoms which may be due to any one of a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the symptom.

Manner of Death: Deaths not due to external cause should be identified as 'Natural'. If the cause of death is known, but it is not known whether it was the result of an accident, suicide or homicide and is subject to further investigation, the cause of death should invariably be filled in and the manner of death should be shown as 'Pending investigation'.

In accordance with the provisions of section 10(2) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023), a certificate of cause of death shall be given to the Registrar and a copy of the same to the nearest relative of the deceased.

FORM NO. 4A

(See rule 7)

MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

(For non-institutional deaths. Not to be used for still births)

(To be given to the person required under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) to give information concerning the death to Registrar along with Form No. 2 (Death Report)

			ast Name		
NAME OF DECEAS	ED: First Name			describer and communicate	
Sex	76 1 sees or many	If less than 1 year, age	ge at Death  If less than one month,	If less than one day, age	For use of Statistical Offic
sex	If 1 year or more, age in years	in month	age in days	in hours	12 74 77 18
. Male . Female . Transgender Person					
<u>CA</u>	USE OF DEATH			Interval between onset and death approx.	
mmediate cause State the disea caused death, n failure, asthenia	sse, injury or complic ot the mode of dying s s, etc.				
Antecedent cause Morbid condition	ons, if any, giving rise nderlying conditions las	due to (o to the above	r as a consequences of)		
I Other significant co	onditions contributing e disease or condition co	(c)to the death			
	male, was pregnancy th	e death associated with?	1. Yes 2. No		
			Name and sig	mature of the Medical Practitio	oner certifying the cause of de

## MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH

Directions for completing the form

Name of deceased: To be provided in the following format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name]. If deceased is an infant, not yet named at time of death, leave blank.

Age: If the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours.

Cause of Death: This part of the form should always be completed by the attending physician personally.

The certificate of cause of death is divided into two parts, I and II. Part I is again divided into three parts, lines (a) (b) (c). If a single morbid condition completely explains the deaths, then this will be written on line (a) of Part I, and nothing more need be written in the rest of Part I or in Part II, for example, smallpox, lobar pneumonia, cardiac beriberi, are sufficient cause of death and usually nothing more is needed.

Often, however, a number of morbid conditions will have been present at death, and the doctor must then complete the certificate in the proper manner so that the correct underlying cause will be tabulated. First, enter in Part I(a) the immediate cause of death. This does not mean the mode of dying, e.g., heart failure, respiratory failure, etc. These terms should not be appear on the certificate at all since they are modes of dying and not causes of death. Next consider whether the immediate cause is a complication or delayed result of some other cause. If so, enter the antecedent cause in Part I, line (b). Sometimes there will be three stages in the course of events leading to death. If so, line (c) will be completed. The underlying cause to be tabulated is always written in last in Part I.

Morbid conditions or injuries may be present which were not directly related to the train of events causing death but which contributed in some way to the fatal outcome. Sometimes the doctor finds it difficult to decide, especially for infant deaths, which of several independent conditions was the primary cause of death; but only one cause can be tabulated, so the doctor must decide. If the other diseases are not effects of the underlying cause, they are entered in Part II.

Do not write two or more conditions on a single line. Please write the names of the diseases (in full) in the certificates as legibly as possible to avoid the risk of their being misread.

Onset: Complete the column for interval between onset and death whenever possible, even if very approximately, e.g., "from birth" "several years".

Accidental or violent deaths: Both the external cause and the nature of the injury are needed and should be stated. The doctor or hospital should always be able to describe the injury, stating the part of the body injured, and should give the external cause in full when this is shown. Example: (a) Hypostatic pneumonia; (b) Fracture of neck of femur; (c) Fall from ladder at home.

Maternal deaths: Be sure to answer the question on pregnancy and delivery. This information is needed for all women of child-bearing age, even though the pregnancy may have had nothing to do with the death.

Old age or smility: Old age (or smility) should not be given as a cause of death if a more specific cause is known. If old age was a contributory factor, it should be entered in Part II. Example: (a) Chronic bronchitis, II old age.

Completeness of information: A complete case history is not wanted, but, if the information is available, enough details should be given to enable the underlying cause to be properly classified.

Example: Anaemia – Give type of anaemia, if known. Neoplasm – Indicate whether benign or malignant, and site, with site of primary neoplasm, whenever possible, Heart disease – Describe the condition specifically; if congestive heart failure, chronic on pulmonale, etc., are mentioned, give the antecedent conditions. Tetanus – Describe the antecedent injury, if known. Operation – State the condition for which the operation was performed. Dysentery – Specify whether bacillary, amoebic, etc., if known. Complications of pregnancy or delivery – Describe the complication specifically, Tuberculosis – Give organs affected.

Symptomatic statement: Convulsions, diarrhea, fever, ascites, jaundice, debility, etc., are symptoms which may be due to any one of a number of different conditions. Sometimes nothing more is known, but whenever possible, give the disease which caused the symptom.

In accordance with the provisions of section 10(3) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023), a certificate of cause of death shall be given to the person required under this Act to give information concerning the death.



प्रपत्र- **5** Form-5

सं. **No.**State Govt.
Emblem

GOVERNMENT OF ......

QHIग /..(प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीयनिकाय का नाम).......

DEPARTMENT OF ....../. (Name of local body issuing certificate).



# जन्म प्रमाण-पत्र BIRTH CERTIFICATE

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023	में संशोधित) की धारा 12 / 17 तथाराज्य
का नाम) जन्म और मृत्यू रजिस्ट्रीकरण	(संशोधन) नियम, (संशोधित नियम को अधिसूचित किए जाने
का <b>वर्ष</b> ) के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी	<u> </u>
Issued under Section 12 / 17 of the Registra	ation of Births and Deaths Act, 1969 (amended in (Name of State) Registration of
यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सचना जन्म	के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
21	राज्य के रजिस्टर में
	s been taken from the original record of birth which is of Subof State/Union territory
नाम/Name:	
, लेंग/Sex	
, जन्म तिथि /Date of Birth	
जन्म स्थान /Place of birth	
नाता का नाम/Name of Mother	
नाता का आधार नं० /Aadhaar No. of Mother: पेता का नाम/Name of Father	
पेता का आधार नंo/Aadhaar No. of Father:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
वच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/	माता पिता का स्थायी पता
Address of parents at the time of birth of the child	: Permanent address of parents:
गंजीकरण संख्या√Registration № :	पंजीकरण दिनॉंक/Date of Registration
टेप्पणी/Remarks(if any)	7-11-7-4 1 1 1-7-540 - 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
जारी करने की तिथि/Date of issue:	
	धिकारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority
	पाशिकारी का प्रता Address of the issuing authority

प्राधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority मोहर/**Seal** 

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/ Ensure registration of every birth and death



प्रपत्र-6

सं. <b>No.</b>	_	Form-6
State Govt. Emblem	सरकार GOVERNMENT OF  [विभाग /(प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीयनिकाय का नाम)  DEPARTMENT OF	S

# मृत्यु प्रमाण-पत्र DEATH CERTIFICATE

<u>DEATH C</u>	<u>CERTIFICATE</u>
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (2023 मे	<b>मं संशोधित)</b> की धारा 12 / 17 तथा(राज्य
का नाम) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (	संशोधन) नियम, (संशोधित नियम को अधिसूचित किए जाने
का <b>वर्ष</b> ) के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी कि	2,
Issued under Section 12 / 17 of the Registration	on of Births and Deaths Act, 1969 (amended in Name of State)Registration of
	हे मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
उप जिलाजिला	राज्य के रजिस्टर में उल्लिखित है।
s the register for (local area/local body) of Districtof State/Unio	
नाम /Name:	
पृत्यु का स्थान/Place of Death	
माता का नाम / Name of Mother	
नाता का आधार नं०/Aadhaar No. of Mother:	
पेता का नाम /Name of Father	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
पेता का आधार नं० / Aadhaar No. of Father:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
पति / पत्नी का नाम / Name of Husband / Wife	
पति ∕ पत्नी का आधार नं० ∕ Aadhaar No. of Husband / Wife:	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
नृतक का मृत्यु के समय का पता $/$	मृतक का स्थायी पता/
Address of the deceased at the time of death:	Permanent address of the deceased:
नंजीकरण संख्या/Registration № :	पंजीकरण दिनॉक/Date of Registration
टेप्पणी/Remarks(if any)	
जारी करने की तिथि/Date of issue:	
प्राधिव	कारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority

प्राधिकारी के हस्ताक्षर /Signature of the issuing authority प्राधिकारी का पता/ Address of the issuing authority मोहर/**Seal** 

प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें/ Ensure registration of every birth and death

(See rule 12)

## BIRTH REGISTER

Legal information
This part to be added to the Birth Register

	To be filled by the informant
1.	Date of Birth: DD - MM - Y Y Y Y
2.	Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person") :
3. (a)	Child's Details (if not named, leave blank):-  Name, if any: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
4.	Father's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (if available):
(c)	Mobile No:
	Email Id:
5. (a)	Mother's Details:-
(b)	Name: First Name Middle Name Last Name
(c)	Aadhaar No. (if available):
(d)	Email Id:
6.	Address of parents at the time of Birth of the Child: House No:
ъ.	Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code:
7.	Permanent address of parents: House No:  Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
8.	Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the birth took place):  1.Hospital / Institution Name:
	Other place Address: House No:     Locality: Ward number (in case of town and if available):     Town or Village: Sub-district: District:
9.	State or Union Territory: PIN Code: Informant's Details:
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If avallable):
(c)	Mobile No:
(e)	Email id:
	Address: House No: Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
	ARATION:
under s false in Subsidi autheni (After c	re furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other les, benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of Aadhaar tication.  Sompleting all columns 1 to 23, and the section of the section of the section.
Date:	of the first of th
	left thumb mark of the informant
	To be filled by the Registrar
Back	atten No. 1
Registr	ation No. : ation Date:
-	Village:
Sub-Di	
District	
Remari	ks ( If any):
	Name and Signature of the Registrar

### FORM NO.8 (See rule 12) DEATH REGISTER Legal Information

	This part to be added to the Death Register
	To be filled by the informant
1.	Date of Death DD - MM - YYYY
2.	Deceased's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
	Aadhaar No. (If available):
(b)	Date of Birth (if available): DD - MM - YYYY
(c)	Age:
(d)	
3.	Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):
4.	Mother's Details:- Name: First Name Middle Name Last Name
(a)	
(b)	Aadhaar No. (If available):
(c)	Mobile No:
(d)	Email Id:
5.	Father's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (if available):
(c)	Mobile No:
(d)	Email Id:
	Spouse's (husband / wife) Details:-
6. (a)	Name: First Name   Middle Name   Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
(c)	Date of Birth (if available):
(d)	Age (in completed years):
(e)	Mobile No:
	Email Id:
(n)	Address of the deceased at the time of death: House No:
7.	Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or VIIIage: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
-2	
8.	Permanent address of the deceased: House No:  Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
9.	Place of death (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "House" or "Other place" where the death took place):  1.Hospital / Institution Name:  2. House 3. Other place Address: House No:
	Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
10.	Informant's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No.(if available):
(c)	Mobile No:
(d)	Email Id:
(e)	Address: House No.:
	Locality: Ward number (in case of town and if available): Town or Village: Sub-district: District:
	Town or Village: Sub-district: District: State or Union Territory: PIN Code:
aware 2023) Financ	ARATION:  I have furnished true information to the best of my knowledge and belief. I am of the penalties under section 23 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in for submitting false information. Also, I give consent, under Aadhaar (Targeted Delivery of slai and Other Subsidies, benefits and Services) Act, 2016, for authenticating identity by way of
	ar authentication. the best of my knowledge and information, the detail of Aadhaar of the deceased is not available.
	completing all columns 1 to 21, ant will put date and signature)
	Signature or
Registr	To be filled by the Registrar ration No. :
Registr	ration Date: D D - M M - Y Y Y Y
-	ration Unit :
	Village: Sub-District: District:
	ks ( If any):
Cause	of death (As per Form 4 / 4A):
	Name and Signature of the Registrar
	Hanne and Signature of the Neground

# (See rule 12) STILL BIRTH REGISTER

# Legal information

This part to be added to the Still Birth Register

	To be filled by the informant
1.	Date of Birth:
2.	Sex (Enter "Male" or "Female" or "Transgender person"):
3.	Father's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (If available):
(c)	Mobile No:
(d)	Email Id:
4.	Mother's Details:-
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	
(c)	Aadhaar No. (If available):
(d)	Mobile No: Email Id:
5.	Place of birth (Tick the appropriate entry 1 or 2 or 3 below and give the name and address of the "Hospital / Institution" or the address of the "House" or 'Other place" where the birth took place):  1.Hospital / Institution Name:  2. House 3. Other place Address: House No. Locality: Ward number (In case of town and if available): Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
6.	Informant's Details:
(a)	Name: First Name Middle Name Last Name
(b)	Aadhaar No. (if available):
(c)	Mobile No:
(d)	Email Id: Address: House No:
(e)	Locality: Ward number (in case of town and if available):
	Town or Village: Sub-district: District:
	State or Union Territory: PIN Code:
the Regis under Aa identity by (After con	turnished true information to the best of my knowledge and belief. I am aware of the penalties under section 23 of stration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) for submitting false information. Also, I give consent, dhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, benefits and Services) Act, 2016, for authenticating y way of Aadhaar authentication.  Inpleting all columns 1 to 12, will put date and signature)
Date:	D D - M M - Y Y Y Y Signature or
	left thumb mark of the informant
	To be filled by the Registrar
Registrati	
Registrati Registrati	
Town / VI	llage:
Sub-Distr	ict:
District:	
Remarks	( If any):
	Name and Signature of the Registrar
	Trains and engineers of the frequent

# FORM No.10 (See rule 13)

# NON-AVAILABILITY CERTIFICATE

(Issued under Section 17 of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 (amended in 2023))

	This	is	to	certify	that	a	search	has	been	made	on	the	request	of
Shri/Sn	nt./Kur	n									so	n/wife	/daughter	of
								in the	e regis	tration i	ecord	s for	the year	ar(s)
				. relatin	g to (	Loca	al area).							. of
(Sub-D	istrict)								of (Dist	rict)				of
(State)						ar	nd found	that	the eve	nt relati	ng to	the I	birth/deat	h of
						son/	daughte	r of					was	not
registe	red.													
Date:	d	d	- n	m -	у у у	/ у	]							
							1			Signatur	e of is	suing	authority	
										Seal				

# FORM No. 11(See rule 14)

## SUMMARY MONTHLY REPORT OF BIRTHS

1.	Report for the Month of:	Year :	
2.	District:		

- Town/ Village:
- Registration Unit:
- Number of Births Registered during the month:

Male	Female	Transgender Person (3)	Total*
(1)	(2)		(1+2+3)

- 6. Time Gap in Birth registration:
  - (a) Within Time limit (21 days) of their occurrence:
  - (b) More than 21 days but within 30 days of their occurrence:
  - (c) More than 30 days but within one year of their occurrence:
  - (d) After one year of their occurrence:

Total\* (a + b + c + d):

\* Total should be equal to the number of statistical part of Birth Report Forms (Form No.1) attached with this monthly report.

> Signature and Name of the Registrar

Date: d d - m m - y y y y

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar

# FORM No. 12 (See rule 14)

# SUMMARY MONTHLY REPORT OF DEATHS

1.	Report for the Month of:	Year	
		B	

- District:
- 3. Town/ Village:
- 4. Registration Unit:
- Details of Deaths Registered during the Month:

Death		all Infant deaths Maternal Deaths)		Infant	s Deaths (A	ge less than one	year)	Child		e one year or mo in five years)	ore but	Maternal Deaths
Male	Female	Transgender Person	Total*	Male	Female	Transgender Person	Total	Male	Female	Transgender Person	Total	
								-	2			

- 6. Time Gap in Death registration:
  - (a) Within Time limit (21 days) of their occurrence:
  - (b) More than 21 days but within 30 days of their occurrence:
  - (c) More than 30 days but within one year of their occurrence:
  - (d) After one year of their occurrence:


Total\* (a + b + c + d):

Note: Infant and Child Deaths & Maternal Deaths should also be included in the Deaths.

\* Total should be equal to the number of statistical part of Death Report Forms (Form No.2) attached with this monthly report.

> Signature and Name of the Registrar

Date:



Submitted to the Chief Registrar/District Registrar

4.

## FORM No. 13 (See rule 14)

## SUMMARY MONTHLY REPORT OF STILL BIRTHS

1.	Report for the Month of:	Year :	
2.	District:		
3.	Town/ Village:		

4. Number of Still Births Registered during the month:

Male (1)	Female (2)	Transgender Person (3)	Total* (1+2+3)

5. Time Gap in Birth registration:

Registration Unit:

- (a) Within Time limit (21 days) of their occurrence:
- (b) More than 21 days but within 30 days of their occurrence:
- (c) More than 30 days but within one year of their occurrence:
- (d) After one year of their occurrence:

Total\* (a + b + c + d):

\* Total should be equal to the number of statistical part of Still Birth Report Forms (Form No.1) attached with this monthly report.

Signature and Name of the Registrar

Date: d d - m m - y y y y

Submitted to the Chief Registrar/District Registrar

Form No. 14 (See rule 9)

# Format of Self-attested document for <u>Delayed Reporting of BIRTH / DEATH</u> under Section 13(2) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023) <u>DECLARATION</u>

	,son/daughter/wife	of
hereby declare that:		do
deceased)	delayed reporting of Birth / Death of(nan	;
	(date of birth / death)	at (place of
birth / death); 3. He / she was attended at at;	birth /death by	who resides
	delay in reporting of his / her birth	/death are
5. His / her birth /	death certificate is required for the	purpose of
마리 그 집에 하는 것 같아. 그렇게 되었다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는데 그렇게 되었다.	mation is true and I have not reported the above certificate has been issued in this respect, to th	e best of my
		d Signature or the informant
	Date DD - MM	- Y Y Y Y

Notes:

- 1. Date, wherever it occurs, is to be provided in dd-mm-yyyy format, where dd is date in two digits, mm is month in two digits and yyyy is year in four digits Wherever the date is written in words it should be written in full e.g 01-01-2023 shall be written as First January two thousand twenty three. Use only 'Arabic numerals' such as 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 for recording dates and other numerical entries.
- 2. Name, wherever it occurs, is to be provided in the format of [first name] [middle name] [last name] where full name (not abbreviation) to be written in capital letters and first name is mandatory. There should be minimum two characters in either [first name] or [middle name] or [last name].
- Address, wherever it occurs, shall contain the name of State or Union Territory, District, Subdistrict, Town or Village, Ward number (in case of town and if available), Locality, House number and PIN Code.

# Form No. 15 (See rule 16 A) FORM FOR APPEAL

(To be submitted to District Registrar / Chief Registrar)
(under Section 25(A) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (amended in 2023))

	District	Sub- District	Village/Town	Locality	RU ID	any office as Re	Name of / Distt. Registrar o er authorized to act gistrar / District Registrar
			appeal with da the occurrence,				)
	RATION: e furnished t	true informa	tion to the be	st of my kr	nowled	ge and bel	ief.
				Date		(Signature	of the appellant
Appello Nar	int details: me	Address	s Aac	lhaar no.		Email Id	Mobile No.
Notes:	Planca votai		nis form for you			of a C D and a few	
1.		ty, must be s	ubmitted to Dis	trict Regist	rar/Ci	iiej Kegisira	r within a period o
1. 2.	Appeal, if an 30 days from th aggrieved.	ne date of su	ch action or rec	ceipt of suc	h order	with which	the person is bein
1. 2. 3.	Appeal, if ar 30 days from th aggrieved. Date, where digits, mm i written in w January two	ne date of surver it occurs is month in words it show thousand tw	ch action or rec , is to be provid two digits and uld be written venty three. Use	eeipt of suc led in dd-m yyyy is ye in full e.g only 'Arab	h order m-yyyy ar in fo 01-01-	with which format, whe nur digits W 2023 shall	the person is bein are dd is date in tw herever the date be written as Fir.
1. 2. 3.	Appeal, if ar 30 days from the aggrieved. Date, where digits, mm is written in w January two for recording Name, when [last name] mame is man [middle name]	wer it occurs is month in vords it show thousand tw g dates and of rever it occu where full r ndatory. The	ch action or red , is to be provid two digits and uld be written venty three. Use other numerical rs, is to be provi ame (not abbra are should be mame].	ceipt of suc led in dd-m yyyy is ye in full e.g only 'Arab entries. vided in the eviation) to inimum tw	th order  m-yyyy  ar in fo  01-01-  oic nume  format  be wr  oo chare	with which format, whe nur digits W 2023 shall erals' such a t of [first na itten in capt acters in eit	the person is being the date in two therever the date in the written as Fir. is 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ime] [middle name ital letters and fir. iher [first name] of the second
1. 2. 3.	Appeal, if ar 30 days from the aggrieved. Date, where digits, mm is written in w January two for recordin, Name, when [last name] name is man [middle nam Address, who	wer it occurs is month in vords it show thousand tw g dates and of rever it occu where full in ndatory. The nel or [last in erever it occ Town or Vil	ch action or red , is to be provid two digits and uld be written venty three. Use other numerical rs, is to be provi ame (not abbra are should be ma ame]. urs, shall conta lage, Ward nu	ceipt of suc led in dd-m yyyy is ye in full e.g only 'Arab entries. vided in the eviation) to inimum tw in the nam	th order  m-yyyy  ar in fo  01-01-  oic nume  format  be write  c characte  e of Sta	with which format, whe nur digits W 2023 shall erals' such a t of [first na itten in capi acters in eit	the person is being the date in two therever the date in the be written as Fir. is 0,1,2,3,4,5,6,7,8, ime] [middle name ital letters and fir. ther [first name] of Territory, District
1. 2. 3.	Appeal, if ar 30 days from the aggrieved. Date, where digits, mm is written in w January two for recordin, Name, when [last name] name is man [middle nam Address, who Sub-district,	wer it occurs is month in vords it show thousand tw g dates and of rever it occu where full in ndatory. The nel or [last in erever it occ Town or Vil	ch action or red , is to be provid two digits and uld be written venty three. Use other numerical rs, is to be provi ame (not abbra are should be ma ame]. urs, shall conta lage, Ward nu	ceipt of suc led in dd-m yyyy is ye in full e.g only 'Arab entries. vided in the eviation) to inimum tw in the nam	th order  m-yyyy  ar in fo  01-01-  oic nume  format  be write  c characte  e of Sta	with which format, whe nur digits W 2023 shall erals' such a t of [first na itten in capi acters in eit tte or Union own and if o	r within a period of the person is being the definition of the date in two therever the date in the written as Firms 0,1,2,3,4,5,6,7,8, and [middle name ital letters and first her [first name] of Territory, District vailable), Locality der of the Governa

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)1117-571+10-डी0टी0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in